– चतुर्थ अध्याय –

4– मध्यकालीन भारत में पुलिस व उत्तराखण्ड –

4.1– मध्यकालीन भारत में पुलिस का स्वरूप।

4.2– मध्यकालीन भारत में पुलिस की भूमिका।

4.3– मध्यकालीन भारत में पुलिस का कार्यक्षेत्र।

4.4– मध्यकालीन भारत में पुलिस की आवश्यकता।

4.5– मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड का स्वरूप उसमें पुलिस की भूमिका–

4.5.1– मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति।

4.5.2– मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड की राजनीतिक स्थिति तथा पुलिस की भूमिका।

4.5.3– मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड राज्य की सामाजिक स्थिति तथा पुलिस का प्रभाव।

4.5.4– मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड राज्य की प्रशासनिक स्थिति तथा पुलिस की आवश्यकता।

Estelar

चतुर्थ अध्याय

4. मध्यकालीन भारत में पुलिस व उत्तराखण्ड :–

शोध के चतुर्थ अध्याय में शोधार्थी द्वारा मध्यकालीन भारत में पुलिस के स्वरूप को स्पष्ट करने हेतु उस काल की शासन प्रणाली का सम्पूर्ण विस्तृत उल्लेख किया है। जिसमें निहित पुलिस के स्वरूप, भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा आवश्यकता को स्पष्ट किया है। इस शोध में शोधार्थी द्वारा मध्य कालीन भारत में किस राजवंश तथा समुदाय एवम् वंशजों द्वारा शासन किया गया है तथा उनकी शासन प्रणाली किस प्रकार रही उसको स्पष्ट किया है। इस अध्याय में शासन प्रणाली में समावेशित पुलिस का स्वरूप को भी स्पष्ट करने का कार्य किया है। विषय ऐतिहासिक स्वरूप को लिया होने के कारण इसमें इतिहास के समस्त युगों का अध्ययन करना आवश्यकीय समझा गया है इसलिए इतिहास की दृष्टि से मध्यकाल भारतीय इतिहास का अभिन्न व महत्वपूर्ण अंग है। अतः उस काल की शासन पद्धतियों का वर्णन करना नितान्त आवश्यक है। इस सन्दर्भ में जॉन ह्यूजिंगा ने कहा है कि ***"इतिहास वह बौद्धिक स्वरूप है, जिसमें सभ्यता अपने अतीत को चित्रित करती है।"***[1]

इतिहास विषय पर आधारित शोध में जितना महत्वपूर्ण आधुनिक व प्राचीन भारत का इतिहास है उससे अधिक महत्वपूर्ण मध्यकाल का इतिहास भी है। इस शोध विषय के लिए भी मध्यकाल का इतिहास एक महत्वपूर्ण भाग है। इस काल की प्रशासनिक प्रणालियों के आधार पर ही भारतीय पुलिस के इतिहास का स्परूप स्पष्ट होता है। किसी तथ्य के स्वरूप तथा उसकी सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब वह अपने भूत के तथ्यों को वर्तमान में समावेशित करें। भारतीय पुलिस का स्वरूप भी इतिहास की विभिन्न शासन प्रणालियों पर आधारित है। इस सन्दर्भ को स्पष्ट करते हुए जोन्स महोदय ने कहा है कि ***"इतिहास जीवन के अनुभवों की यर्थाथ खान है और आज का युवक जाति के अनुभवों से लाभान्वित होने के लिए इसका अध्ययन करता है।"***[2]

उत्तराखण्ड में पुलिस का स्वरूप या उत्तराखण्ड राज्य में पुलिस के स्वरूप की विवेचना या अध्ययन करने हेतु भारत के प्राचीन व मध्यकाल तथा पूर्व आधुनिक काल की पुलिस का अध्ययन अत्यधिक आवश्यक है।

Estelar

4.1 मध्यकालीन भारत में पुलिस का स्वरूप :–

पूर्व मध्यकाल मुख्य रूप से राजपूत काल माना जाता है। इस शासन व्यवस्था में पूर्ववर्ती शासन व्यवस्था के तथ्य मौजूद थे। इस काल में भी शासन का मूल अधिकारी राजा या सम्राट ही होता था। पूर्व मध्यकाल के स्रोतों से अवगत हुआ है कि उस समय भी केन्द्रिय तथा प्रान्तीय शासन व्यवस्था थी केन्द्रिय स्तर संधिविग्रहिक, विदेश विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इस काल में अंक्षपटांलिक, (आर्थिक व राजस्व विभाग का प्रमुख) महाप्रतिहार (राजा का व्यक्गित अंगरक्षक), धर्मस्थीय (न्यायविभाग का प्रधान) सेनापति तथा युवराज के साथ ही पुलिस विभाग का पृथक अधिकारी महादण्डनायक के रूप में नियुक्त था। इस काल पर गुप्त काल तथा हर्ष की शासन पद्धति का विशेष प्रभाव पड़ा। प्रतिहार कालीन प्रशासन व्यवस्था में राजा या सम्राट तथा राजन्य (राजा का सजातीय कुलीन वर्ग), राजास्थानीय (वाइसराय या उपराजा) संधिविग्रहिक तथा पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी के रूप में दण्डपाशिक का उल्लेख प्राप्त हुआ है। इस काल में प्रान्त अधिपत्यों द्वारा शासक को कर दिया जाता था तथा आवश्यक पड़ने पर सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे। राष्ट्रकूट शासकों द्वारा शासन में परमभट्टारक, महाराजाधिराज आदि थे। इस काल में राजा को दैवी उत्पत्ति का मूलक माना जाता था। इस काल में सम्राट को सर्वशक्तिमान माना गया है। इस काल में वंशानुक्रम के अनुसार प्रशासन का कार्य युवराज पर भी आधारित था। साम्राज्य को राष्ट्रों, भुक्तियों तथा ग्रामों में विभाजित किया गया था।

दक्कन में राष्ट्रकूटों के पतन के उपरान्त चालुक्यों का उदय हुआ। जिनकी प्रसिद्ध राजधानी का नाम कल्याणी था इस काल या वंशज के लोग सम्राट को समस्तभुवनाश्रय या श्री पृथ्वीवल्लभ की उपाधियों से इंगित करते थे। इनके शासन के अन्तर्गत महाप्रचंड दण्डनायक सेना के प्रमुख सेनाध्यक्ष को कहा जाता था। इस वंशज के द्वारा धर्म व न्याय का अधिकारी भी नियुक्त किया जाता था जिसको धर्माधिकारिन कहा जाता था। इस वंशज के द्वारा आन्तरिक न्याय व्यवस्था को दुरूस्त करने तथा शान्ति के निर्माण के साथ अपराधों को नियन्त्रित करने के लिए दण्डनायक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी जो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। इन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी।

पल्लव सम्राटों के विषय में कहा जाता है कि ये 'महाराजा' तथा 'धर्ममहाराज' की उपाधि धारण करते थे। इनके केन्द्रिय प्रशासन अनेकों मन्त्री के द्वारा चलाया जाता था।

Estelar

प्रशासन नियन्त्रण के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी इस समय युवराज (प्रान्त का शासक) आमात्य (मन्त्री) राष्ट्रिक (प्रान्त का जिला स्तर का अधिकारी) देशाधिक्य (स्थानीय अधिकारी) तथा ग्राम भोजक (ग्राम प्रधान) की नियुक्ति की जाती थी।

चोल साम्राज्य के शक्ति तथा प्रतिष्ठा के तथ्य भी उल्लेखित हैं। इनके शासन में केन्द्रिय प्रशासन का प्रमुख राजा होता था। चोलों ने राज्य के प्रान्तों को राज्य मंडलों, मंडल वड़नाडु तथा नाडु में विभाजित किया था। इस वंशज की सैनिक शक्ति अद्वितीय थी इनकी नौसैनिक शक्ति अभूतपूर्व थी इस कारण दक्षिण पूर्व एशिया में इनका विशेष प्रभाव था। इनके पास पैदल सेना के साथ सुव्यवस्थित व प्रशिक्षित नौ सेना भी थी। नायक, सेनापति तथा महादण्डनायक सेना के बड़े अधिकारियों के रूप में थे। चोलों का स्थानीय शासन भी अभूतपूर्व आधार का था। इसमें 'उलर या सभा' और 'महासभा' बालिग सदस्यों द्वारा तथा 'ऊर' सर्वसाधारण द्वारा एवम् 'सभा' अग्रहार या ब्राह्मणों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित संस्था थी। यह लघु गणतन्त्र की स्थापना का स्वरूप था।

दिल्ली सल्तनत् के समय केन्द्रिय शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से सैनिक शासन व्यवस्था पर आधारित थी। इल्तुतमिश द्वारा शाही सेना का संगठन किया जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्रिय शासन का होता था। इस शासक द्वारा प्रमुख नगरों में न्याय के लिए काजी तथा अमीरेदाद रखे थे। जिनका स्पष्ट न्याय क्षेत्र भी था। सुल्तान स्वयं न्याय का स्रोत माना जाता था। किसी गम्भीर मामले में अन्तिम फैसला शासक का ही होता था इस सन्दर्भ में कवि इब्नबतूता ने कहा है कि ***"सुल्तान के महत्व के सम्मुख संगमरमर के दो सिंह बने हुये थे जिनके गले में घंटियाँ लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था। उसकी फरियाद सुनकर तुरन्त न्याय की व्यवस्था की जाती थी।"***[3]

इल्तुतमिश द्वारा काजी–उल कुजात की सिफारिश पर काजियों की नियुक्ति की थी मुख्य नगर में अमीर ए–दारद को भी नियुक्त किया गया था। इनका तबादला भी इल्तुतमिश राज्य के अन्दर अपने आधार पर समय–समय पर करता रहता था। सुल्तान के बाद काजी–उल–कुजात सर्वोच्च न्याय अधिकारी होता था। इस शासक के द्वारा हिन्दू सरदारों को भी अपने क्षेत्रों में राज करने की स्वतन्त्रता दी थी।

बलवन का शासनकाल राजत्व के सिद्धान्त शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित था। बलवन ने सेना का पुर्नगठन कर निष्ठावान व योग्य सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की। बलवन अपने सैनिक अभियानों को भी गुप्त रखता था। बलवन ने अपने शासन

Estelar

व्यवस्था में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किये। बलवन अपने कार्यों से अपनी जनता का हृदय जीतना चाहता था। बलवन की मृत्यु के बाद उसकी राजव्यवस्था बनी रही तथा दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना हुई। इस सन्दर्भ में बरनी ने कहा है कि ***"बलवन की मृत्यु से दुःखी हुए मलिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पैरों दारूल–अमन के कब्रिस्तान को ले जाते हुए उन्होंने अपने–अपने सिरों पर धूल फेंकी। उन्होंने चालीस दिन तक उसकी मृत्यु का शोक मनाया और भूमि पर सोए।"***[4]

खिलजी वंश भी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण राजवंश रहा है जिसके प्रशासनिक सुधार आज भी सार्थक माने जाते हैं। जलालद्दीन ने सारी स्थिति का जायजा लेकर ही प्रशासनिक व आर्थिक सुधार किये। जलालुद्दीन निष्ठावान, निष्कपट, दयालु व उदार शासक था। खिलजी वंश का प्रभावशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। उसका शासन तन्त्र अत्यधिक प्रभावशाली शासन तन्त्र था। वह सेना का प्रमुख महासेनापति व सर्वोच्च न्यायिक व कार्यकारी शक्ति था। वह स्वयं का सलाहकार था उसके मन्त्रियों की स्थिति वर्तमान सचिवों तथा दफ्तर बाबू की तरह थी। उसके चार मन्त्री सम्पूर्ण प्रशासन के स्तम्भ के समान थे। ये दीवान–ए–वजारत, दीवान–ए–आरिज, दीवान–ए–इंशा तथा दिवान–ए–रसालत थे। इस काल में मुख्यमंत्री भी होता था उसे 'वजीर' कहा जाता था जो मूल रूप से दीवान–ए–वजारत कहा जाता था। वजीर के उपरान्त दूसरा महत्वपूर्ण पद दीवान–ए–आरिज अथवा सैन्यमंत्री था। राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण पद दीवान–ए–इंशा था इसके पास अनेक प्रकार के सचिव भी होते थे जिन्हें 'दबीर' कहा जाता था। दीवान–ए–रसालत चौथा महत्वपूर्ण पद था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिवान–ए–रियासत नाम से नया मंत्रालय स्थापित किया जिसमें अनेकों सचिवों की नियुक्ति की गयी जो राजमहल में कार्य सभालते थे। इस सन्दर्भ में कहा गया है कि ***"सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान और यश का दूसरा स्रोत नहीं है और हो भी नही सकता।"***[5]

खिलजी वंश में न्याय की सर्वोच्च अदालत सुल्तान ही था। इतना अवश्य है कि सुल्तान के उपरान्त न्याय हेतु बड़ा न्याय अधिकारी सद्र–ए–जहॉ क्राजीउल कुजात होता था। अलाउद्दीन ने गुप्तचर तथा पुलिस विभाग अत्यधिक प्रभावशाली बनाया। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी कोतवाल होता था। यह पद पूर्ण उत्तरदायित्व युक्त होता था। कोतवाल शान्ति व कानूनों की रक्षा का कार्य करता था। उसने दीवान–ए–रियासत तथा

Estelar

'शहना' या दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया। उसने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए 'मुहतसिब' की नियुक्ति भी करी। खिलजीवंश के अर्न्तगत अलाउद्दीन के गुप्तचर अधिकारी भी अत्यधिक कुशल व योग्य थे। उनकी गुप्तचर सेवा जनसाधारण में भय व्याप्त करती थी। इस विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद–ए–मुमालिक था। उसके गुप्तचर विभाग में मुनहियन या मुन्हीं की भी नियुक्ति की थी। इस सन्दर्भ में बरनी ने कहा है कि ***कोई भी उसकी जानकारी के बिना हिल नही सकता था, और मलिकों, अमीरों, अधिकारियों व महान व्यक्तियों के यहाँ जो भी घटना घटती थी उसकी सूचना कालांतर में सुल्तान को दे दी जाती थी। गुप्तचरों की गतिविधियों के कारण वे अपने घरों में रात–दिन कॉपते रहते थे।***[5]

इस शासक की डाक व्यवस्था भी अत्यधिक आकर्षक तथा प्रभावशाली थी। इसके समय में केन्द्र के समान प्रान्तों में भी कुशल प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था स्थापित थी। प्रान्त का प्रमुख कार्यपालिका व न्यायपालिका का प्रमुख होता था। उसकी स्वयं की सेना होती थी। प्रांतपति को इस काल में "बली" या "मुक्ता" कहा जाता था। यह प्रान्तपति को सम्राट ही स्थानान्तरित नियुक्त तथा पदच्युत कर सकता था। प्रान्त के राजस्व के लिए दीवान–ए–बजारत उत्तरदायी होता था। डाक व्यवस्था के लिये कहा गया है कि ***"सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था साम्राज्य के विभिन्न भागों में सम्पर्क स्थापित करने वाली कुशल डाक पद्धति के कारण सुगम हो गई थी।***[6]

विजयनगर की शासन व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थी इसमें राजा को 'राय' कहा जाता था इस व्यवस्था में सप्तांग विचारधारा को बल दिया। इस काल में भी राजा के उपरान्त राजा का जेष्ठ पुत्र ही युवराज होता था इसमें युवराज के राज्याभिषेक को "युवराज पट्टाभिषेकम्" कहते थे। इस शासन व्यवस्था में केन्द्रिय सचिवालय का गठन किया गया था। विजयनगर की शासन व्यवस्था को प्रान्तों में भी विभाजित किया गया था। प्रान्तों को राज्य तथा मंडल कहते थे।

विजयनगर की व्यवस्था में जिलों को 'कोटटम्' या 'बलनाडु' कहते थे। कोट्टम् को 'नाडु' में बाँटा गया था। नाडु आजकल परगना के समान था। इन नाडुओं को मेलाग्रामों में विभाजित किया जाता था। जिसमें पचास ग्राम होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 'उर' या 'ग्राम' होती थी। इस काल में नायकार व्यवस्था तथा आयगार व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ था।

Estelar

मध्यकालीन भारत के द्वितीय भाग मुगलकालीन शासन व्यवस्था अत्यधिक केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था थी मुगलकाल के संस्थापक दिल्ली सल्तनत् के राजाओं से पृथक 'पादशाह' की उपाधि धारण की थी। इस काल में पादशाह के पास केन्द्रिय शासन होने के कारण अपार शक्तियाँ थी, गुप्तकाल में मंत्रिपरिषद् का गठन हुआ था। बाबर के शासनकाल में वजीर का अत्यधिक महत्वपूर्ण पद था वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था। अकबर के समय में प्रधानमंत्री 'वकील' तथा वित्तमंत्री को 'वजीर' कहा जाता था। वकील–ए–मुतलक सम्राट के उपरान्त शासन संचालित करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। दीवान या वजीर राजस्व व वित्तिय विभाग पर नियन्त्रण करता था। मीर वख्शी एक दिवानी आरिज हुआ करता था जो मनसबदारों की नियुक्ति करने का कार्य करता था। मुगल काल में सद्र–उस–सद्र या सुदूर यह धार्मिक मामलों पर अधिक कार्य करता था। यह धार्मिक, धन सम्पदा एवम् दान विभाग का अधिकारी होता था। मीरसभा, सम्राट के घरेलू मामलों का प्रधान अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त इस समय दयूतात, प्रधान काजी, मुहतसिव एवम् मीर आतिश या दरोगा–ए–तोपखाना आदि अधिकारी होते थे।

मुगलकाल की प्रान्तीय शासन व्यवस्था के अर्न्तगत सूबेदार को गर्वनर,, सिपहसालार, साहिब सूवा या सूबेदार कहा जाता था। इसकी उपाधि "नाजिम" थी। इसकी नियुक्ति स्वयं सम्राट करता था इसका कार्य शान्ति स्थापना करना था। इसके सहायक दीवान, वख्सी, फौजदार, कोतवाल, काजी, सद्र, आमिल वितिक्ची, पोटदार, वाकियानवीस आदि होते थे। दीवान सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह होता था वख्सी की नियुक्ति शाही मीर वख्शी के द्वारा की जाती थी। सदर काजी की नियुक्ति भी शाही काजी द्वारा की जाती है।

मुगल काल में जिले का प्रशासन हेतु फौजदार, आमिल, खजानदार, वितिक्ची तथा कोतवाल द्वारा किया जाता था। परगना का प्रशासन शिकदार, आमिल, कानूनगो, कारकून करता था जिले में कोतवाल तथा परगने में शिकदार शान्ति व्यवस्था तथा अपराधों पर नियन्त्रण करने का कार्य करता था। अतः यह पुलिस विभाग के अधिकारी की भाँति कार्य करते थे।

सल्तनत् काल की न्याय तथा दण्ड व्यवस्था कठोर थी इस काल में न्याय इस्लामी कानून शरीयत, कुरान एवम् हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून इन महत्वपूर्ण स्रोतों कुरान, हदीस, इजमा व कयास पर आधारित था। दण्ड, अपराध की गम्भीरता पर आधारित

Estelar

था इस काल में मुख्यतः सामान्य कानून, देश का कानून, फौजदारी कानून तथा गैर मुस्लिम का धार्मिक व व्यक्तिगत कानून थे। हिन्दू व अन्य समुदाय के लोगों द्वारा किये अपराधों का दण्ड उनके समुदाय के विद्वान पण्डितों तथा ब्राह्मणों द्वारा ही निर्धारित होता था।

4.2 मध्यकालीन भारत में पुलिस की भूमिका :–

मध्यकालीन भारत के शासकों द्वारा दो भागों में शासन काल किया गया। इस काल में शासन पद्वतियाँ प्रथम सल्तनत् काल तथा द्वितीय मुगलकाल था इन कालों में प्रशासन का स्वरूप अलग–अलग प्रकार का था। पूर्व मध्यकाल का भी मध्यकालीन इतिहास पर प्रभाव पड़ा है तथा शासन व प्रशासन का स्वरूप भी दक्षिण भारतीय आधार का रहा था। इस समय राष्ट्रकूट सम्राटों को परम–भट्टारक, महाराजाधिराज कहा जाता था इस काल में राष्ट्रकूट सम्राट सर्वशक्तिमान होते थे। साम्राज्य का प्रशासन केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों आधारों का था। साम्राज्य का विभाजन राष्ट्रों, भुक्तियाँ तथा ग्रामों में विभाजित रहता था। राष्ट्रकूटों के पराभव के बाद चालुक्यों का उदय हुआ। इस राजवंश में दण्डनायक तथा महादण्डनायक धर्माधिकारिन जो न्याय तथा धर्म विभाग का अधिकारी था जिसकी धार्मिक कार्यों हेतु नियुक्ति की गयी थी। चालुक्यों के उपरान्त पल्लव सम्राटों द्वारा महाराज या धर्ममहाराज की पदवी धारण की थी। इनके केन्द्रिय शासन में अनेक अधिकारियों का वर्णन प्राप्त हुआ है। प्रशासन को नियन्त्रित करने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। युवराज ही प्रान्त का शासक होता था यही सारे नियम व कानूनों का संचालक होता था। आमात्य उसका प्रमुख मंत्री व सलाहकार होता था युवराज को सहायता के लिए राष्ट्रीय अथवा जिले स्तर का अधिकारी तथा देशाधिक्त होता था। स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति युवराज द्वारा की जाती थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम प्रधान के हाथों में होता था। ग्राम स्तर पर न्याय, शान्ति व्यवस्था तथा अपराधों से रोकथाम तथा लोक कल्याणकारी कार्य ग्राम सभा ही करती थी। ब्राह्मण पूज्यनीय थे उनको धार्मिक व अन्य अनुष्ठानों के लिए दान व दक्षिणा दी जाती थी।

प्रान्तीय शासन में चोल वंशज के समय उलर तथा सभा व महासभा बालिंग सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। 'उर' सर्व–साधारण लोगों की तथा 'सभा' अग्रहार या ब्राह्मणों के व्यवस्थापन से सम्बन्धित सभा थी। न्याय समिति (वैतनिक अधिकारियों की सहायता से) अपराध का पता लगाती थी। अपराधी को समुचित दण्ड भी देने का कार्य किया जाता था।

Estelar

धर्मवारियम् न्याय सम्पत्ति की देखभाल करता था। ग्राम सभा में 'उर' नामक संस्था की लघु–गणतन्त्र कहना उत्तम होगा। इन स्वशासित व्यवस्थाओं में केन्द्रिय शासन द्वारा असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप होता था।

मुसलिम शासक निरंकुश होने के साथ शिष्टाचारी भी थे। बलवन ने शिष्टाचार सम्बन्धी 'सजदा' तथा पायबोस प्रणाली पर बल दिया। इल्तुतमिश के सैनिक शक्ति ने इस व्यवस्था का थोड़ा दूसरा मोड़ लिया हुआ था। दिल्ली सल्तनत के समय राज्य में वजीर पद की स्थापना हुई। ताजुद्दीन इलदोज, नासिरूद्दीन कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐवक आदि सभी वजीर थे। जलालुद्दीन खिलाजी द्वारा भी अपने समय में वजीर पद को प्रतिष्ठित करने की चेष्ठा की थी। वजीर का पद फिरोज तुगलक के समय चरमोत्कर्ष पर था। सैयद सुलतानों के समय भी वजीर का पद महत्वपूर्ण था उसे सैनिक अभियानों में भी भेजा जाता था। लोदी वंश के राज्यरोहण के समय यह पद महत्वहीन हो गया था। अलाउद्दीन के समय राज्य के चार स्तम्भ दीवान–ए–बजारत, दीवान–ए–आरिज, दीवान–ए–ईशा तथा दिवान–ए–रसालत थे। बजीर का पद इन मंत्रियों में महत्वपूर्ण होता था। वजीर का कार्यालय दीवान–ए–विजारत कहलाता था उसको सहायता के लिये पूर्ण प्रशासिक तन्त्र होता था। इसमें एक नायब वजीर भी होता था। नायब वजीर के नीचे मुशरिफ–ए–मुमलिक (महालेखाकार) और मुस्तौफी–ए–मुमलिक (महालेखा परीक्षक) होता था। मुशरिफ प्रान्तों के अन्य विभागों का हिसाब रखता था तथा मुस्तौफी इस हिसाब की जाँच करता था। गजनवी शासन में मुशरिफ विविध विभागों का निरीक्षण करता था तथा सुल्तानों की सम्पत्ति का निरीक्षण भी करता था।

दिल्ली सल्तनत् के समय शासन का स्वरूप परिवर्तित हुआ उसमें अनेक पदों को संगठित किया गया। इसमे मुजमुआदार जो आय तथा व्यय को ठीक करता था। खजीन (खंजाची) यह नगद रूपया अपने पास रखता था दीवान–ए–वकूफ जो व्यय के कागजों की देखरेख करता था। दीवान–ए–मुस्तखराज यह वित्त विभाग के अर्न्तगत मुस्तखराज नामक विभाग था। इसका कार्य राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम पर बकाया की जाँच तथा उसकी वसूली करना था। दीवान–ए–अमीरकोही मुहम्मद तुगलक के काल में अधिक विशिष्टता लिया था। इसका कार्य मालगुजारी विभाग को व्यवस्थित करना था। इस समय वजीर को मिश्रित विभागों का दायित्व लेना पड़ता था। इस सन्दर्भ में अफीक ने

Estelar

लिखा है कि *"अगर कोई दीवान–ए–विजारत के कार्यालय के विषय में प्रकाश डालना चाहे तो उसे एक किताब लिखनी पड़ेगी।"*

इस समय सेना का प्रधानपति दीवान–ए–आरिज कहलाता था। इसका मंत्रालय दीवान–ए–मुमलिक कहलाता था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों को भर्ती करना, सेना संगठन तथा उसकी कार्य प्रणाली का निरीक्षण करना था। शाही पत्र व्यवहार का कार्य दीवान–ए–ईशा विभाग करता था यह सुल्तान के फरमानों को भी तैयार करने का कार्य करता था। दीवान–ए–रसालत का कार्यो विदेश विभाग का होता था। वकील–ए–दर, राजदरवार में शिष्टाचार के नियमों का निर्धारण करता था।

इस काल में सरजांदर यह अंगरक्षकों का नायक होता था। इसमें अश्वशाला का प्रमुख अमीर–ए–आखुर तथा हस्तिशाला का प्रमुख शहना–ए–पील होता था। सभी दावतों का प्रबन्ध अमीर–ए–मजलिस होता था। मुसलिम काल में कानून के चार श्रोत होते थे इनको कुरान, हदीस, इजमा या कयास कहा जाता था इसमें कानून को चार प्रकार से लागू किया जाता था। प्रथम सामान्य कानून केवल मुसलमानों के ऊपर लागू होता था। द्वितीय देश का कानून या मुस्लिम शासक वाले प्रान्तों पर लागू होता था तृतीय फौजदारी कानून यह हिन्दू तथा मुसलमानों दोनों पर लागू होता था। चतुर्थ गैर मुसलमानों का धार्मिक व व्यक्तिगत कानून यह गैर मुस्लिम अर्थात् हिन्दुओं के ऊपर उनके धर्म विद्वानों तथा ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित करके लगाया जाता था। यह संस्था केन्द्रिय न्याय व्यवस्था पर आधारित थी इस विभाग को मुसलिम शासकों के समय पुलिस विभाग कहा जाता था।

मुसलिम शासन के प्रारम्भ में देश में अव्यवस्था की स्थिति थी कोई भी लूटपाट कर लेता था किसी की भी हत्या कर दी जाती थी। बलवन ने पुलिस का कार्य सेना को सौंप दिया था। उसने अपने गुप्तचर विभाग को संगठित किया तथा उसको उसने अपने पास ही रखा। बलवन की मृत्यु के पश्चात पुनः प्रशासनिक व राजनैतिक अस्थिरता का भाव पनप गया। अलाउद्द्वीन के समय में यह व्यवस्था पुनः सुधर गयी थी। इसके काल में मदिरापान बन्द कर दिया गया तथा अपराध के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान कर दिया गया। मुहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम पुलिस चौकी को निर्धारित किया। तुर्की व अफगानी सुल्तानों ने अन्याय से रक्षा तथा न्यायीकरण हेतु "अमिरदार" नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। यह न्याय व गृह विभाग का प्रमुख होता था इस समय हर शहर में पुलिस कोतवाल को

Estelar

नियुक्त किया गया था उस समय के कोतवाल के पास आज के जिलाधीश व सुपरिटेंडेंट पुलिस के बराबर अधिकार थे।

सल्तनत् काल में प्रान्तीय शासन, केन्द्रिय शासन के समान ही था। प्रान्त का प्रमुख सम्राट के समान प्रान्तपति होता था उसके पास अपनी सेना होती थी जिसका वह सेनापति होता था। प्रान्त को 'शिक' में बाँटा गया था जिसका प्रमुख शिकदार होता था। शिकों को परगनों में विभाजित किया जाता था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम या गॉव होता था जिसका मुखिया मुकद्दम, खत तथा चौधरी होता था। प्रान्तों की न्याय व्यवस्था के लिए गर्वनर, काजी–ए–सूबा का न्यायालय, दीवान–ए–सूबा का न्यायालय तथा सद्रे–सूबा का न्यायालय होता था। प्रान्त का मुख्य न्यायाधिकारी गवर्नर होता था तथा सर्वोच्च न्याय का अधिकार राजा के पास ही सुरक्षित रहता था। प्रान्तीय अपील के मामलों में काजी–ए–सूबा की सहायता गवर्नर लेता था तब न्याय सरलता से करता था।

प्रान्तीय न्यायालयों में भी मुफ्ती, मुहतसिब और दादबक होते थे। प्रान्त के न्यायिक उपविभागों में काजी, फौजदार, आमिल, कोतवाल तथा ग्राम पंचायत शामिल थे। सल्तनत् काल में प्रान्तों को जिलों में बाट दिया गया था। जिले को शिक तथा उसका मुख्य अधिकारी शिकदार होता था। शिक के अन्तर्गत अनेकों परगने होते थे। इन परगनों को कई देह या गॉव में बाँटा जाता था। परगनाधीश को मुत्तसरिफ या आमिल कहते थे। हर परगना की पुलिस परगनाधीश के समान या मातहत होती थी। शहर की कोतवाली सीधे बादशाह के सम्पर्क में रहती थी।

मुगल कालीन प्रशासन केन्द्रिय आधार पर था इसमें सम्राट या सुल्तान को पादशाह की पदवी से नवाजा गया था। प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग मन्त्रीपरिषद् होता था। वह प्रशासन की गतिविधियों को ठीक प्रकार से संचालित करने में सुल्तान की मदद करते थे। वजीर प्रधानमंत्री के तहत कार्य करता था यह बाबर के समय में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। अकबर के समय में वजीर के स्थान पर वकील महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता था। दीवान या वजीर का नियन्त्रण राजस्व विभाग के पास होता था वजीर के अन्तर्गत दीवान–ए–खालसा भूमि के मामलों पर नियन्त्रण तथा दीवान–ए–तन नकद तनख्वाह प्रदान करने का कार्य करता था। उस काल में सैन्य लेखा जोखा दीवान–ए–तवजिह राजस्व कार्यों के लिए दिए जाने वाला वेतन दीवान–ए–जागीर, धार्मिक कार्यों का लेखा जोखा दीवान–ए–सादात करता था। मीर वख्सी के पास दीवानी आरिज

Estelar

के समस्त अधिकार थे। मुगलों में मनसबदारी के कारण यह पद और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। प्रान्तों में यह कार्य के लिए वाकियानबीस होता था। धार्मिक मामलों, धार्मिक धन–सम्पत्ति एवम् दान विभाग के कार्य का संचालन सद्र–उस–सद्र या सुदूर करता था। शरीयत की रक्षा करना इस अधिकारी का मुख्य कर्तव्य था। मीर सभा सम्राट के घरेलू विभाग का अधिकारी होता था मुगल साम्राज्य के अर्न्तगत आने वाले कारखानों को यह देखता था।

मुगलकालीन प्रशासन से पूर्व शेरशॉह सूरी ने जो शासन दिया था वह भी अदभुद् था। पुलिस का प्रबन्धन शेरशॉह सूरी के समय अत्यधिक उत्तम आधार का था। शेरशॉह मानता था बड़े अपराध पुलिस की सॉठ–गॉठ से होते हैं। अतएव उसने पुराने आधार स्थानीय पुलिस की नियुक्ति कर दी थी। हर ग्राम में मुकद्म अपने क्षेत्र के अपराध की रोकथाम तथा उसका पता लगाने के लिए जिम्मेदार होता था। चाहे व चोरी का मामला हो या खून अथवा हत्या का मामला हर अपराध में मुकद्दम ही जिम्मेदार होता था। हत्यारा नहीं पकड़ा जाता तो उसको ही फाँसी दी जाती थी। दण्ड बहुत कठोर थे। शेरशॉह ने गुप्तचर पुलिस को अलग से नियुक्त कर रखा था। अकबर द्वारा केवल पुरानी परम्परा को बनाये रखा। ग्रामों की पंचायत तथा उसकी न्याय तथा व्यवस्था का शासन बना रहा। शेरशॉह के समय में शहर कोतवाल का उच्च पद भी कायम रखा गया था। सेना में सैनिकों का अध्यक्ष 'मनसबदार' भी पुलिस का काम करता था।

प्रान्तीय शासन में प्रान्त का मुखिया सूबेदार होता है। सूबेदार प्रान्त का मुखिया होता था उसको नाजिम भी कहा जाता था। इसका मुख्य कार्य शान्ति स्थापना करना है। सम्राट की आज्ञाओं का पालन करना इसका कर्तव्य होता था इसके पास सभी अधिकारी होते थे जो आन्तरिक व वाह्य व्यवस्था का निर्धारण करते थे। दूसरा प्रान्तीय अधिकारी दीवान होता था शाही दीवान के निर्देश पर प्रान्तीय दीवान की नियुक्ति की जाती थी। दीवान व सूबेदार एक दूसरे के प्रतिद्वन्दी होते थे। कुछ मुगल बादशाह इस व्यवस्था को कायम नहीं रख सके उनके द्वारा एक ही व्यक्ति को ये दोनों पद दे दिए गये। दीवान राजस्व को एकत्र करता था। वख्सी की नियुक्ति भी शाही मीर वख्सी के दिशानिर्देश पर होती थी वख्सी वाकियानिगार की भाँति समस्त जानकारियों को सुल्तान को देता था। सदर काजी की नियुक्ति भी शाही काजी के निर्देश पर होती थी।

Estelar

जिले का प्रशासन भी पृथक आधार का था इसका मुखिया फौजदार होता था यह जिले का प्रधान सैनिक अधिकारी होता था। इसके पास सेना की टुकड़ी भी होती थी इसका मुख्य कार्य कानून व व्यवस्था को बनाये रखना था। आमिल व अमलगुजार जिले के प्रमुख राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। कोतवाल की अनुपस्थिति में यही न्यायिक कार्यों को देखता था। खजानदार खजाने का प्रमुख होता था इसका कार्य सरकारी खजाने की रक्षा करना था वितिक्वी राजस्व विभाग का दूसरा अधिकारी होता था। कोतवाल की नियुक्ति मीर आतिश के द्वारा की जाती थी यह सम्पूर्ण घटनाओं के प्रति उत्तरदायी होता था अपराधियों को दण्ड नहीं दे पाने की स्थिति में कोतवाल स्वयं दण्ड का पात्र होता था उसको भारी हर्जाना भरना पड़ता था। यह प्रान्तीय स्तर पर पुलिस विभाग का प्रमुख भी होता था। परगने का शासन शिकदार, आमिल, कानूनगो तथा कारकून चलाता था परगने में शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए तथा अपराधियों को दण्डित करने के लिए शिकदार स्वंय जिम्मेदार अधिकारी के रूप में परगना स्तर पर होता था।

अकबर के केन्द्रिय शासन में आठ उच्च अधिकारी थे। इस समय आचरण–व्यवहार तथा व्यवस्था के लिए मोहतसिब मुख्य अधिकारी था। यह वास्तव में गृहमंत्री होता था। परगने की शान्ति व्यवस्था, न्याय तथा रक्षा के लिए फौजदार मुख्य होता था। जो वर्तमान पुलिस सुपरिटेन्डेन्ट के बराबर का होता था। शहर कोतवाल का निगरानी रखने का दायित्व होता था। ग्रामों की रक्षा का भार फौजदार के पास होता था। इस समय न्याय आज के समय से शीघ्र प्राप्त हो जाता था।

4.3 मध्यकालीन भारत में पुलिस के कार्यक्षेत्र :–

मध्यकालीन भारत में पुलिस के कार्यक्षेत्र के विषय में अध्ययन करने के उपरान्त अवगत होता है कि पुलिस का कार्यक्षेत्र बिना मुगलकाल व सल्तनत् काल की प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करे बगैर सम्भव नहीं है। इसलिए दिल्ली सल्तनत् तथा मुगल कालीन सल्तनत् का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक है। जिसके माध्यम से ही उस काल के पुलिस के कार्यक्षेत्रों का वर्णन सरल तथा बोधगम्य हो पायेगा।

इस काल में सभी राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वशक्तिमान होता था। न्याय व्यवस्था में वही सर्वोच्च अधिकारी होता था प्रतिहार राजवंश के विषय कहा गया। साम्राज्य में केन्द्रिय प्रशासन के साथ प्रान्तीय प्रशासन की व्यवस्था भी विकसित थी। उस समय साम्राज्य को भुक्तियों (प्रान्तों) भुक्ति मण्डलों (जिलों) तथा मंडल विषयों (तहसीलों) में

Estelar

विभक्त किया गया था। राजा भोज के समय दुर्ग का प्रशासन कोटटपाल अथवा कोतवाल के पास था। इस समय दो श्रेष्ठिन तथा सार्थवाह की एक समिति होती थी। श्रेष्ठिन तथा सार्थवाह सिविल प्रशासन के अधिकार होते थे क्योंकि परिषद् की सहमति द्वारा ग्राम दान देना स्पष्ट हुआ है। इस समय केन्द्रिय प्रशासन में सांधिविग्रहिक, अक्षपटोलिक, भांडाआरिक, महाप्रतिहार, महादण्डनायक, सेनापति, युवराज आदि होते थे।

प्रतिहार कालीन दान पात्र में राजा, राजन्य, राजस्थानिक, दंडपाशिक (जो एक पुलिस विभाग का अधिकारी होता था) तथा संधिविग्रहिक का उल्लेख प्राप्त होता है। इस काल में राज्य द्वारा अपने सम्बन्धियों, उच्च पदाधिकारियों एवम् ब्राह्मणों को बहुत मात्रा में भूमिदान की चर्चा उल्लेखित है। कन्नौज की शासन व्यवस्था में प्रधान या प्रधानामात्य या आमात्य मुख्य एवं महत्वपूर्ण पद थे। पालों के राज्य व्यवस्था में भी पष्ठाधिकृत, शौल्किक, दण्डशक्ति या दण्डपाशिक पुलिस विभाग के प्रमुख अधिकारियों की चर्चा का उल्लेख प्राप्त हुआ है। इस समय सेना विभाग के अधिकारियों, गौल्मिक तथा नावाध्यक्ष का भी वर्णन प्राप्त हुआ है। इस समय गुप्त वंश के समान अधिकारियों का वर्णन प्राप्त हुआ है जो महाधर्माध्यक्ष महासांधिविग्रहिक, महामुद्राधिकृत, महाक्षपरलिक आदि थे।

राष्ट्रकूट सम्राटों के अनुरूप परमभट्टारक, महाराजाधिकराज आदि पद रहे हैं। राष्ट्रकूट प्रशासन सामंती आधार का था छोटे सामन्त केन्द्रिय सामन्ती व्यवस्था के दिशा निर्देशों के आधार पर अपने कार्यों का सम्पादन करते थे। दक्षिण में राष्ट्रकूटों के उपरान्त चालुक्यों का उदय हुआ। इस वंश के सम्राटों में समस्तभुवनाश्रम तथा श्री पृथ्वीबल्लभ आदि उपाधियों को धारण किया। दण्डनायक, महाप्रचंड दण्डनायक तथा धर्माधिकारिन आदि अधिकारी सम्राट द्वारा नियुक्त होते हैं। मण्डल या जिले में महामण्डलेश्वर नियुक्त किया जाता था। वैधानिक कार्यव्यवस्था प्रधान नाड़–पेरगाड (सचिव) होता था। पल्लव काल में स्थानीय प्रशासन, न्याय, शांति व्यवस्था व सिंचाई की व्यवस्था आदि का कार्य ग्रामसभा द्वारा किया जाता था। चोलों के समय राज्य मण्डलों (प्रान्तों) मण्डल वडनाडु तथा नाडु में विभाजित किया जाता था। नायक, सेनापति तथा महादण्डनायक प्रमुख अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे।

दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश था। इस काल में सभी प्रभावशाली पदों पर सामान्य अधिकारी को अमीर कहा जाता है। लोदियों ने अमिरों का सम्मान इतना बढ़ा दिया कि उनका सुल्तान "सम्मानों में प्रधान" की तरह रह गया। शासन में सुल्तान की

Estelar

सहायता के लिए मंत्री होते थे जिनको सुल्तान स्वयं अपनी इच्छानुसार नियुक्त करता था। सुल्तान के निर्बल होने पर मन्त्री सारी शक्ति को अपने हाथ में ले लेते थे। दिल्ली सल्तनत् के समय इस मंत्रिपरिषद् को मजलिस–ए–खलवन्त कहते थे। जो निरंकुश राज्यशासन परामर्शदात्री सभा के रूप में होती थी। लोदी शासन में वजीर का महत्व अत्यधिक कम था। वजीर, आरिजे मुमलिक, दीवाने इंशा तथा दीवाने रसालत राज्य के चार स्तम्भ होते थे। वजीर अन्य सभी मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करता था। वजीर को कार्य करने हेतु सुल्तान की अनुमति लेनी होती थी वजीर सैनिक व्यवस्था पर भी नियन्त्रण रखता था। वजीर मुख्य रूप से वित्त विभाग का भी प्रमुख होता था। सैनिक विभाग की सभी मागें भी वजीर के सम्मुख रखी जाती थी। वजीर कभी–कभी सैन्य संचालन भी करता था।

वजीर का कार्यालय दीवाने–ए–वजारत कहलाता था उसकी सहायता के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था होती थी। एक नायब वजीर भी होता था। नायब वजीर के नीचे मुशरिफ–ए–मुमलिक (महालेखाकार) और मुस्तौफी–ए–मुमलिक (महालेखा–परीक्षक) भी होता था। मुशरिफ का कार्यों की तथा प्रान्तों से प्राप्त अन्य हिसाबों का लेखा जोखा इत्यादि की मुस्तौफी जॉच करता था। गजनबी के शासन काल में मुशरिफ विभिन्न विभागों का निरीक्षण करता था। वह विशेषकर सुल्तानों की धन सम्पदा का ध्यान रखता था। मुस्तौफी का महत्व बढ़ा दिया था वह विजारत के सभी विभागों में हस्तक्षेप करता था वह राज्य का महालेखा परीक्षक बन गया था।

दिल्ली सल्तनत् के समय मजमुआदार आय व्यय को ठीक प्रकार से निर्धारित करता था। खजीन नकद मूल्य का लेखाकार होता था इस धन का रखरखाव इसी के पास रहता था। दीवान–ए–वकूफ राज्य के व्यय पक्ष पर अधिक ध्यान देता था। दीवान–ए–मुस्तखराज का काम वसूली गयी रकम जिन अधिकारियों पर रहती थी उसको उनसे वसूल कर राजकोष तक लाने का कार्य होता था। दीवान–ए–अमीरकोही मालगुजारी व्यवस्था को ठीक से संचालित करता था। इस विभाग पर विजारत का प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहता था। इस प्रकार वजीर को मिश्रित विभागों का दायित्व लेना पड़ता था। वजीर को नकद के साथ भू–राजस्व का भी कुछ अंश दिया जाता था।

दिल्ली सल्तनत् के समय आरिज–ए–मुमलिक का मंत्रालय दीवान–ए–आरिज कहलाता था। दीवान–ए–आरिज सेना का प्रधान होता था इसका मुख्य कार्य सैनिकों की

Estelar

भरती करना, सैनिकों तथा घोड़ों का हुलिया सम्बन्धी रिकार्ड रखना सेना के लिए साज सज्जा का प्रबन्ध करना सैनिक अभियानों का संचालन तथा सेना का निरीक्षण करना था। इस काल में दिवान–ए–इंशा पत्र व्यवहार के लिए उत्तरदायी था। शाही घोषणाओं के मसविदे तथा सुल्तान के फरमानों को यही विकसित करता था। दीवान–ए–रसालत सुल्तान् के घरेलू मामलों का मंत्रालय था यह अत्यधिक विश्वसनीय व्यक्ति को प्राप्त होता था। दीवान–ए–दर इसे अमीर–ए–हाजिब–बारवक भी कहा जाता था। यह दरवारी शिष्टाचार के नियमों का निर्धारण करता था। अमीर–ए–मजलिस का कार्यक्षेत्र सभाओं और दावतों जैसे विशेष उत्सव आदि की उपयुक्त व्यवस्थाओं का प्रबन्धन करना होता था।

सल्तनत् काल का न्याय विभाग मुख्य रूप से कुरान, हदीस, इजमा व कयास पर आधारित था। इस काल में कानून चार आधार पर निर्धारित था इससे ही सम्पूर्ण शान्ति व्यवस्था का निर्धारण होता था। सामान्य कानून केवल मुसलमानों पर लागू होते थे वह व्यापार के मामले में मुसलमानों तथा गैर मुसलमान दोनों पर लागू होते थे। देश के कानून के अन्तर्गत मुसलिम शासकों द्वारा उस देश के सभी कानून का आदर किया जाता था। फौजदारी कानून वह दोनों के लिए आवश्यक था दोनों (हिन्दू व मुसलमानों) पर समान रूप से लागू होता था। गैर मुसलमानों का धार्मिक व व्यक्गित कानून पृथक था इसमें सुल्तान् द्वारा हिन्दुओं के मामले में न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाता था। मुकदमों का निर्णय उनकी पंचायतों (जिसमें विद्वान पण्डित तथा ब्राह्मण होते थे) द्वारा दिया जाता था। इसमें मुस्लिम शासकों द्वारा अपने न्यायाधीश भी नियुक्त नहीं कर रखे थे। इस काल में न्याय विभाग के अन्तर्गत ही पुलिस कार्य करती थी इसमें न्याय विभाग ही पुलिस विभाग के द्वारा शांति व्यवस्था को निर्धारित करती थी।

प्रान्तीय शासन केन्द्रिय शासन द्वारा निर्धारित होता है तथा यह प्रान्तीय शासन, केन्द्रिय शासन का प्रतिरूप होता है। प्रान्त का प्रधान प्रांतपति होता था। आवश्यकतानुसार वह केन्द्र में अपनी सेना को भी भेजता था। प्रान्तों को इस काल में 'शिक' में विभाजित किया जाता था जिनका प्रमुख शिकदार होता था। इसके अधीन अनेक शासकीय कर्मचारी आते थे। शिक को परगनों में विभाजित किया जाता था तथा परगना कई ग्रामों को मिलाकर बनता था शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही होती थी जिसका शासक मुकद्दम होता था। प्रान्तों में भी चार प्रकार के न्यायालय होते थे जिनका सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर होता था लेकिन अन्तिम निर्णय केन्द्र प्रमुख सम्राट का ही होता था। प्रान्त

Estelar

के पास सबसे अधिक क्षेत्राधिकार था वह सभी प्रकार के मामलों पर न्याय सुनाता था। जब गवर्नर अत्यधिक व्यस्त रहता था तब काजी–ए–सूबा भी न्यायिक मामलों की प्रक्रिया को सम्पादित करता था इस प्रकार न्याय विभाग ही पुलिस की तरह कार्य कर प्रान्त में शान्ति स्थापित करने का कार्य करता था।

मुगलकालीन शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से केन्द्रिय शासन व्यवस्था थी। मुगल शासक निरंकुश तो थे परन्तु स्वेच्छाकारी नहीं थे। इस काल में सम्राट की सहायता के लिए मंत्रीपरिषद् होती थी जिसका प्रमुख वजीर होता था। वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था कुछ समय बाद वजीर के स्थान पर वकील महत्वपूर्ण पद हो गया था। दीवान या वजीर के अधीन अनेकों मंत्री कार्य करते थे। मीर वख्सी के पास 'दीवानी आरिज' के समस्त अधिकार होते थे। मुगलों की 'मनसबदारी व्यवस्था के कारण यह पद और भी महत्वपूर्ण हो गया था। मीरवख्सी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने का वेतन मिल पाता था। मीरबख्शी द्वारा मनसबदारों की नियुक्ति, सैनिकों की नियुक्ति, उनके वेतन, प्रशिक्षण एवम् अनुशासन की जिम्मेदारी, घोड़ों को दागने एवम् मनसबदारों के नियन्त्रण में रहने वाले सैनिकों की संख्या का निरीक्षण आदि भी होते हैं। प्रान्तों में नियुक्त वाकियानबीस जो मीरवख्सी को सीधे सन्देश देता था। धार्मिक मामलों, धार्मिक धन सम्पदा तथा दान विभाग के प्रमुख को सद्र–उस–सद्र या सुदूर कहते थे। "शरीयत" की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य था। यह विभाग न्याय का कार्य करता था तब इसे काजी कहा जाता था। मीरसभा के अधीन सम्राट के सभी घरेलू मामले आते थे यह शान्ति हेतु मुशरिफ, दरोगा तथा तहसीलदार, कोतवाल को सीधे सम्पर्क में रखता था।

प्रान्तीय व्यवस्था का प्रमुख सूबेदार होता था। इसे नाजिम भी कहा जाता था। इसका मुख्य कार्यक्षेत्र प्रान्तों में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, सम्राट की आज्ञाओं का पालन करवाना, राज्यकरों की वसूली में सहायता करना था। सूबेदार प्रान्तों में सैनिक व असैनिक दोनों कार्यो का निर्धारण करता था। इसके प्रमुख सहायक दीवान, बख्सी, फौजदार, कोतवाल, काजी, सद्र, अमिललितिकची, पोटदार तथा वाकियानवीस होता था। दीवान का सम्पर्क केन्द्रिय प्रशासन से रहता था। दीवान प्रायः सूबेदार का प्रतिद्वन्दी होता था। यह वस्तुतः सूबे में विद्रोह को समाप्त करने हेतु होता था। इसका कार्य राजस्व का एकत्रीकरण, रोकड़ बही एवं रसिदों का हिसाब रखना, दान की भूमि का लेखा जोखा करना भी था। दीवान राजस्व का प्रधान भी होता था। वख्सी की नियुक्ति शाही वख्सी करता था इसका

Estelar

मुख्य कार्य राज्य में सैनिकों की नियुक्ति, सैनिकों का अनुशासन, प्रशिक्षण तथा घोड़ो की दाग प्रथा आदि होता था यह प्रान्त की सभी घटनाओं की जानकारी सम्राट को देता था। प्रान्त में न्याय करने का कार्य सदर काजी का होता था जिले का प्रशासन फौजदार, अमलगुजार, खजानदार तथा वितिक्वी एवम् कोतवाल के पास होता था परगने का प्रशासन शिकदार, आमिल कानूनगो तथा कारकून द्वारा संचालित किया जाता था।

राज्य में पुलिस प्रभाग के लिए सूबेदार मुख्य भूमिका निभाता था यह फौजदार, कोतवाल तथा शिकदार के द्वारा सुदृढ़ रूप से प्रान्त में शान्ति व्यवस्था, न्याय का उचित प्रबन्धन तथा अपराधों को नियन्त्रित करने का कार्य करता था। इसके द्वारा अधिकारियों के माध्यम से आन्तरिक सुरक्षा का निर्धारण भी कराया जाता था। इस काल की शासन व्यवस्था भी उत्तम शासन व्यवस्था थी जिससे आन्तरिक सुरक्षा व शान्ति के साथ अपराधों पर भी पूर्ण नियन्त्रण था।

4.4 मध्यकालीन भारत में पुलिस की आवश्यकता :–

मुगलकालीन भारत के दो भाग सल्तनत् काल तथा मुस्लिम काल में पुलिस की आवश्यकता का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सम्राट इस काल में सर्वशक्तिमान होता था। राष्ट्रकूटों के वंश में दण्डनायक जो सेना का अधिकारी तथा महादण्डनायक सेना का अध्यक्ष होता था यह सेना के साथ आन्तरिक सुरक्षा के लिए भी कार्य करता था जिसका कार्य केन्द्रिय प्रशासन में अधिक महत्वपूर्ण होता था जिलों की व्यवस्था के लिए महामण्डलेश्वरों की नियुक्ति आवश्यकीय होती थी महासामंताधिपति सामन्तों से सम्बन्धित अधिकारी था। प्रान्तों में अपने नाडु थे। जिन पर दण्डनायक अधिकारियों का शासन था जो आन्तरिक शासन व व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रभाग की तरह कार्य करता था।

पल्लव वंशजों के केन्द्रिय प्रशासन के संचालन हेतु अनेक मंत्री व अधिकारी थे। प्रशासन एवं समस्त विभागों में नियन्त्रण हेतु एक अध्यक्ष होता था। युवराज, प्रान्त का प्रमुख होता था। आमात्य, राष्ट्रिक, देशाधिक्य तथा ग्रामभोजक उसके सहायक अधिकारी होते थे जो प्रशासन का संचालन के साथ अलग प्रकार से प्रान्त के अन्दर शान्ति व्यवस्था को निर्धारित करते थे। स्थानीय स्तर पर प्रशासन, न्याय, शान्ति व्यवस्था तथा लोक कल्याण आदि का कार्य ग्राम सभा ही करती थी।

चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राजवंश रहा है। यह वंशज साम्राज्य विस्तार के साथ प्रशासनिक संगठन तथा संस्कृति की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है। इनके

Estelar

केन्द्रिय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता है। चोलों की प्रान्तीय व्यवस्था मण्डलों, मण्डल वडनाडु तथा नाडु में विभाजित रही है। नाडु में कई ग्राम थे। इनके शासन में सैनिक विकास के साथ ही साथ आन्तरिक सुरक्षा व शान्ति का भी निर्माण उत्तम आधार पर किया गया। इसके प्रशासन में अधिकारी के रूप में नायक, सेनापति तथा महादण्डनायक बड़े अधिकारियो के रूप मे रहे लेकिन आन्तरिक अव्यवस्था के कारण इस वंशज का भी पतन हुआ जिसके लिए के0एम0 मुंशी ने कहा है कि ***"इतिहास मानव के संगठित क्षेत्र के उत्थान व पतन की कहानी है। ऐसा संगठन अपने आधार के लिए धर्म, जाति एवम् भाषा को भी रख सकता है"***

इस समय ग्राम व नगर प्रशासन की सूक्ष्म इकाईयों थी। नाडु की प्रशासनिक सभाऐं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती थी। चोलों के शासन काल में स्थानीय स्वशासन में "उलर" तथा "सभा" व महासभा बालिग लोगों द्वारा निर्मित की जाती थी। "ऊर" साधारण तथा "सभा" अग्रहार तथा ब्राह्मणों द्वारा व्यवस्थापन की संस्था थी। सार्वजनिक भूमि पर महासभा का हस्तक्षेप होता था। महासभा के पास अनेक अधिकार थे। न्याय समिति वेतन प्राप्त अधिकारियों के द्वारा अपराध को ज्ञात करती थी। अपराधी को समुचित दण्ड दिया जाता था। "ऊर" नाम संस्था लघु गणतन्त्र की भाँति कार्य करती थी गणतन्त्र वह होता है जहाँ लोगों के लिए, लोगों द्वारा निर्मित शासन का लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। सम्पूर्ण ग्राम शासन के लिए ऊर का होना अति आवश्यक था। "ऊर" पुलिस व शासन के लिए भी आवश्यक थी इनके द्वारा राजस्व एकत्र कर उत्तम व्यवस्था की जाती थी। सम्राट इनके कार्यों में बहुत कम हस्तक्षेप करते थे। दण्ड का निर्धारण स्वयं करते थे। आर्थिक दण्ड के लिये ऊर की आवश्यकता होती थी। हत्या के लिए भी प्रायः अर्थदण्ड रखा गया था।

सल्तनत् काल की शासन व्यवस्था में वजीर अत्यधिक आवश्यक था वजीर सहित केन्द्रिय व्यवस्था में आरिज मुमतिक, दीवाने–इंशा तथा दिवाने रसालत महत्वपूर्ण अधिकारी थे। वजीर का कार्यालय इस काल में दीवाने–ए–विजारत कहलाता था इसकी सहायता के लिए पूर्ण प्रशासकिय अमला अति आवश्यक था। इसमें एक नायब वजीर नीचे मुशरिफ–ए–मुमलिक तथा मुस्तौफी–ए–मुमलिक कार्य करते थे। जो महालेखाकार तथा महालेखापरीक्षक की भाँति कार्य करते थे। इस काल में मुस्तौफी के पद की भूमिका बढ़नी आवश्यकीय हो गयी थी।

Estelar

दिल्ली सल्तनत् के काल में मजमुआदार, खजीन, वकूफ, मुस्तखराज नामक अधिकारियों की नियुक्ति भी आवश्यक रूप से की गयी थी। इस काल में दीवान–ए–अमीरकोही नामक अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी जो प्रान्त में मालगुजारी व्यवस्था को ठीक प्रकार से प्रचलित करना चाहता था। इस पर विजारत का नियन्त्रण होना भी आवश्यक हो गया था। इस सन्दर्भ में अर्थ शास्त्र के आधार पर इतिहास के लिए मार्शल ने कहा है कि ***"जीवन की सामान्य दशाओं के बीच मानव का अध्ययन करना अर्थशास्त्र है। यह उन व्यक्गित और सामाजिक कार्यों की छानबीन करता है। जिनका भौतिक सुखों के साधन की प्राप्ति और उपयोग से अत्यन्त निकट सम्बन्ध है।"***[10]

इस प्रकार वजीर सभी विभागों के कार्य के देखता था। इस काल में आरिज–ए–मुमलिक का होना इस कारण आवश्यक था कि वह सैनिकों की उत्तम व्यवस्था करता था तथा सैनिक भर्ती से लेकर सैन्य अभियानों में भी भाग लेता था। शाही पत्रों का निर्माण करना भी इस काल में सभी कालों के समान आवश्यक होने के कारण दीवान–ए–इंशा द्वारा किया जाता था। दीवान–ए–रसालत के कार्यो पर मतभेद थे यह शाही महल के व्यक्तिगत प्रबन्धों पर बल देता था। राजदरबार में मर्यादा को बनाये रखने के लिए वकील–ए–दर की नियुक्ति की गयी थी इसके अलावा अमीर–ए–आखुर (अश्वशाला का अध्यक्ष), शाहना–ए–पील (हस्तिशाला का अध्यक्ष) तथा अमीर–ए–मजलिस की नियुक्ति की गयी थी।

इस काल की प्रान्तीय व्यवस्था का प्रमुख प्रान्तपति होता था। प्रान्तपति सेना का प्रमुख था। प्रान्तों को जिलों में बाँटा गया जिनको शिक कहा गया तथा शिक का अध्यक्ष शिकदार होता था उसके अधीन अनेक शासकीय कर्मचारी होते थे जिलों को परगनों में बाँटा गया था प्रशासन के सूक्ष्म इकाई के रूप में ग्राम थे जिनकी शासन व्यवस्था के लिए मुकद्दम, खत तथा चौधरी होते थे। परगने कई गाँवों से मिलकर बनता था।

प्रान्तों की न्याय व्यवस्था चार प्रकार के न्यायालय वली या गवर्नर का न्यायालय, काजी–ए–सूबा का न्यायालय, दीवान–ए–सूबा का न्यायालय तथा सद्रे–सूबा का न्यायालय के रूप में थी। प्रान्त का वली या गवर्नर सम्राट का प्रतिनिधि होता था वह प्रान्त का सर्वोच्च न्याय अधिकारी था। लेकिन वह हर परिस्थिति में काजी–ए–सूबा की सहायता लेता था। वली का सबसे अधिक क्षेत्राधिकार होता था। काजी–ए–सूबा दिवानी तथा फौजदारी दोनों मामलों की सदैव देखरेख करता था। दीवान–ए–सूबा तथा सद्रे सूबा का न्यायिक

Estelar

क्षेत्राधिकार सीमित तथा बहुत सीमित था। उप विभागों में काजी, फौजदार, आमिल तथा कोतवाल ग्राम पंचायत में शामिल थे।

इस प्रकार इस काल में केन्द्रिय न्याय व्यवस्था तथा राज्य न्याय व्यवस्था के अधिकारी ही आन्तरिक सुरक्षा का निर्धारण करते थे तथा प्रान्त में पूर्णरूप से शान्ति व्यवस्था को कायम रखा जाता था तथा अपराध पर नियन्त्रण हेतु कठोर कानून के साथ दण्ड की भी कठोर व्यवस्था थी। दिल्ली सल्तनत् के समय न्याय अधिकारी ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राज्य तथा प्रान्तों में शासन व्यवस्था का निर्धारण करने का कार्य करते थे।

मुस्लिम शासकों द्वारा अत्यधिक केन्द्रीकृत नौकरशाही व्यवस्था निर्धारित की गयी थी। इस काल में शासक या सम्राट की पदवी बादशाह की थी बादशाह की मदद के लिए मंत्रिपरिषद् होती थी वजीर राज्य का प्रधानमंत्री होता था बाद में वकील प्रमुख हो गया था। इस काल में वकील का काम शासक के कार्यों का ठीक प्रकार से संचालित करना था। दीवान व वजीर का कार्य राजस्व व वित्तिय विभाग पर नियन्त्रण करना था। इस समय मीर वख्सी के पास दीवानी आरिज के समस्त अधिकार सुरक्षित थे। मनसबदारी व्यवस्था के कारण यह पद और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था मीर वख्सी द्वारा जब तक 'सरखत' नामक पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते थे तब तक सैनिकों का वेतन आहरित नहीं हो पाता था। मीर वख्सी का कार्य सैनिकों की नियुक्ति, उनके वेतन, प्रशिक्षण तथा अनुशासन को बनाये रखना था। प्रान्त में नियुक्त वाकियानवीस को मीर वख्सी सीधे सन्देश देता था। धार्मिक कार्यों का आयोजन तथा धार्मिक धन सम्पत्ति के निर्धारण हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी जो 'शरीयत' की हिफाजत करता था इसका मुख्य कर्तव्य उलमा की कड़ी निगरानी, शिक्षा, दान तथा न्याय विभाग का निरीक्षण करना था जिसको सद्र–उस–सद्र कहा जाता था। सम्राट के घरेलू कार्यों के निरीक्षण हेतु एक अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक थी जिसे मीर सभा कहा जाता था। इस काल में अन्य मंत्री बयूलाल जो मृत पुरूषों की सम्पत्ति का रखरखाव, प्रधान काजी जो प्रान्त, जिला व नगरों में काजी की नियुक्ति करता था। मुहतसिब जिसका कार्य शान्ति व्यवस्था बनाये रखना तथा अपराधों पर नियन्त्रण करना था इसका कार्य नैतिक मूल्यों का भी संवर्द्धन करना था। इस समय शाही तोपखाने के प्रमुख के रूप में मीरअतिस की नियुक्ति की गयी थी। डाक विभाग का कार्य दरोगा ए डाक सभालता था।

Estelar

मुस्लिम शासकों की प्रान्तीय व्यवस्था में सूबेदार, गवर्नर तथा सिपहसालार या सूबेदार कहा जाता था इसकी सरकारी उपाधि नाजिम थी। इसकी नियुक्ति सम्राट की आज्ञा का पालन, राज्यकरों की वसूली तथा सैनिक व असैनिक कार्यों का संचालन था। इसकी सहायता के लिए प्रान्त में अनेक अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। दीवान की नियुक्ति सीधे शाही दीवान करता था यह सूबेदार का प्रतिद्वन्दी भी होता था। प्रान्त का राजस्व विभाग इसके एकाधिकार में रहता था। इस काल में वख्सी की नियुक्ति की जाती थी जिसकी नियुक्ति शाही मीर वख्सी करता था। इसका मुख्य कार्य वकियानिगार का कार्य था जो बादशाह को सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करता था। प्रान्तीय स्तर पर विवादों का निपटारा कराने के लिए सदर काजी अत्यधिक आवश्यक होता था।

जिले के प्रशासन का कार्य फौजदार के पास होता था जो जिले में न्याय व्यवस्था तथा कानूनों की रक्षा करता था इसका मुख्य कार्य आन्तरिक सुरक्षा तथ अपराधों पर नियन्त्रण करना भी होता था। जिले स्तर पर आमिल या अमलगुजार राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता था अमलगुजार आय व्यय की वार्षिक रिपोर्ट शाही दरबार को भेजता था। खजानदार सरकारी खजांची था इसका मुख्य कर्तव्य खजाने की सुरक्षा करना था वितिक्ची सरकार के राजस्व विभाग का दूसरा अधिकारी था। कोतवाल की नियुक्ति मीर आतिश द्वारा की जाती थी। यह नगर की सुरक्षा तथा शांति व्यवस्था के लिए अति आवश्यक होता था यदि यह अपराधियों को दण्ड नहीं दे पाता था इसका हरजाना इसे स्वयं भरना पड़ता था।

परगना व महाल का प्रशासन के लिए इस काल में शिकदार की नियुक्ति आवश्यक रूप से की गयी थी। यह परगने में शान्ति व्यवस्था के साथ अपराधियों को दण्डित करने का कार्य करता था। आमिल का मुख्य कार्य राजस्व का एकत्रिकरण करना था। इसे मुन्सिफ के नाम से भी जाना जाता था। कानूनगो परगने के पटवारियों का अधिकारी होता था यह भूमि सर्वेक्षण का कार्य करता था। कारकून क्लर्क का कार्य करता था। इस काल में पुलिस विभाग के रूप में सूबेदार, कोतवाल, फौजदार तथा शिकदार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। यही सम्पूर्ण रूप से शान्ति का निर्धारण करते थे।

Estelar

4.5 मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड का स्वरूप उसमें पुलिस की भूमिका :–

पूर्व मध्यकाल में उत्तराखण्ड का स्वरूप छोटे–छोटे सामन्ती शासन पर आधारित था लेकिन इस समय भारत के इस प्रान्त में एक प्रभावशाली राजतन्त्र का शासन प्रारम्भ हुआ यह शासन कत्यूरियों का था ऐसा माना जाता हिमालयी क्षेत्र में इनका शासन काल लगभग 750 ई0 से लेकर यह प्रायः 1040 ई0 तक रहा होगा इस समय कत्यूरी राजाओं की राजधानी जोशीमठ रही होगी इस समय कुमाऊँ में चन्दवंश गढ़वाल में पवार वंश के स्थापना की चर्चा भी रही है।

इस सन्दर्भ में चर्चा है कि कुवर सोमचन्द्र द्वारा बद्रीनाथ की यात्रा की गयी इस समय कुमाऊँ में सूर्यवंशी राजा ब्रह्मदेव कत्यूरी थे। उन्होंने कुवर सोमचन्द्र के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपनी एक मात्र कन्या का विवाह उनसे कर दिया दान–दहेज में पन्द्रह बीघा जमीन दान दी। कुछ समय बाद उन्होंने इस भूमि पर किला बनाया तद्उपरान्त इस भूभाग में काली कुमाऊँ पर उनका राज स्थापित हुआ। इसी प्रकार कुँवर कनकपाल बद्रीनाथ व केदारनाथ के दर्शन हेतु आये चॉदपुरगढ़ी के राजा भानुप्रताप के अतिथि बने। राजा ने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह कुंवर कनकपाल से कर अपना समस्त राज्य उन्हें दे दिया तथा राजा कनकपाल 36वीं पीढ़ी तक पंवारवंश चॉदपुर पर शासन करता रहा। इस समय चॉदपुर से राजधानी देवलगढ़ कर दी गयी। 1517 ई0 में श्रीनगर आकर नयी राजधानी बनायी। गढ़वाल का नामकरण भी अजयपाल की ही देन माना जाता है।

उत्तराखण्ड का पौरव राजवंश हर्ष कालीन माना जाता है। पौरव वंश 647 ई0 से 725 ई0 तक रहा यह उत्तराखण्ड में पूर्व मध्यकाल में विकसित हुआ इस सन्दर्भ में शिव प्रसाद डबराल ने कहा है कि ***"इस ताम्र शासन की प्रारम्भिक पंक्तियों में बाज की शैली का अनुकरण मिलता है। हर्ष के बांसखेड़ा तथा मधुवन शासकों की छाया विष्णुवर्मन द्वितीय के ताम्रशासन पर स्पष्ट दिखाई देती है। हर्ष के ताम्रशासन के समान पौरव राजाओं के शासनों में स्मृतियों के दानपरक श्लोकों को केवल अधूरा ही उद्धृत किया गया है।"***[41]

पौरव राजवंश द्वारा भी आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग का गठन किया गया था। शासन व्यवस्था में कत्यूरी राजाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके पास भी आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग था। इस काल में गुप्तचर विभाग का भी गठन किया गया था अपराधियों को दण्ड देने का प्रावधान भी इनकी शासन

Estelar

पद्धति के अर्न्तगत निहित था। चन्द्र काल में प्रशासन ग्राम स्तर पर प्रधान के अधीन था। यह ग्राम स्तर पर भूराजस्व की वसूली के साथ पुलिस प्रभाग का कार्य भी करता था। पंवार वंशज की न्याय व्यवस्था पंचायती व्यवस्था पर आधारित है। साधारण मामलों को पंचायत ही निपटाती थी। इस समय प्रमुख पदाधिकारी–वजीर, दीवान, फौजदार आदि थे उच्च पदाधिकारियों को वेतन जागीर के रूप में प्राप्त होती थी। इस सन्दर्भ में कहा गया है कि ***"उच्च पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को वेतन जागीर के रूप में प्राप्त होता था तथा दैनिक व्यय के लिए कुछ नकद राशि देने की प्रथा थी। कुछ कर्मचारियों को प्रत्येक फसल पर गॉवों से कुछ अन्य नाली के रूप में मिला करता था।"***[42]

इस प्रकार मध्यकाल में भारत के साथ उत्तराखण्ड के दोनों प्रान्तीय व्यवस्थाओं में विभिन्न राजवंशों का शासन किया गया जो प्रभावशाली राजव्यवस्था पर आधारित था जिनकी प्रशासन पद्धति भी उत्तम आधार की थी।

4.5.1 मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति :–

मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड की स्थिति भौगोलिक के साथ ऐतिहासिक आधार पर भी स्पष्ट हुई। सम्पूर्ण भारत पूर्व मध्यकाल में छोटे–छोटे राजवंशों में बटा हुआ था। भारत में राजवंशों का शासन था दक्षिण में राष्ट्रकूट, पल्लव तथा चोलों का राज था तो उत्तराखण्ड में भी इस समय एक विशिष्ट राजवंश कत्यूरियों का शासन काल था। यह भी माना जाता है कत्यूरी शासकों का राज 2500 ई0 पू0 से ही था। माना जाता था कि कत्यूरी राजाओं का शासन उस समय सिक्किम से काबुल तक फैला हुआ था।

इस काल में कुमाऊँ में चन्दवंश तथा गढ़वाल में पंवारवंश के संस्थापकों की स्थिति एक जैसी थी जो कुमाऊँ तथा गढ़वाल के शासक बने। पंवारवंश के 43वें राजा वलभ्रदशाह को दिल्ली के सम्राट अकबर ने शाह की उपाधि दी उनके विशिष्ट कार्यों के कारण उनको बहादुर शाह के नाम से विख्यात किया गया। पृथ्वीपति शाह ने पुत्र मेविनीशाह 1676 ई0 गढ़वाल की गद्दी पर बैठे। मेविनीशाह के उपरान्त गढ़वाल की गद्दी पर फतेशाह बैठे। फतेशाह का सिक्ख गुरू गोविन्द सिंह से युद्ध हुआ। इस समय सिक्ख गुरू रामराय को देहरादून स्थान दिया गया दून में डेरा डालने के कारण यह स्थान डेरादून (देहरादून) पड़ गया।

कुमाऊँ व गढ़वाल के मध्य के राजवंशों के आपस में कलह क्लेस चलता रहता था। इस प्रकार भारत के राजनीति में जहाँ दिल्ली सल्तनत के समय दिल्ली में मुहम्मद

तुगलक, बलवन आदि ने राजनीतिक शाख जमा कर उत्तम शासन व्यवस्था का आधार दिया। इस समय दिल्ली के शासन में एक प्रमुख राजवंश का जन्म हुआ। इस काल में उत्तराखण्ड में कत्यूरी शासन की शासन प्रणाली थी। दिल्ली में खिलजी वंश का उदय हुआ।

खिलजी वंश के समय शासन व्यवस्था का उत्तम उदाहरण मिले। खिलजी वंश का मुख्य शासक अलाउद्दीन खिलजी की शासन व्यवस्था अत्यधिक उत्तम आधार की थी। इससे पूर्व उत्तराखण्ड में मुहम्मद तुगलक द्वारा दिल्ली सल्तनत् के अधीन लाने के लिए आक्रमण किया इस समय पंवारवंशीयों तथा गढ़पतियों का आधिपत्य था। इस सन्दर्भ में रेहला ने कहा है कि ***"सुल्तान में कारचिल राज से कुछ कर देने की शर्त पर सन्धि कर ली। वास्तव में पर्वत के नीचे इन लोगों के खेत थे जिनको सुल्तान की आज्ञा के बिना नहीं जोता जा सकता था।"*** [13]

1399 ई0 में तैमूरलंग ने हरिद्वार के पास दो हिन्दू गढ़पतियों से युद्ध किया। यह युद्ध राय बहरूज तथा राजा रत्नसेन से हुआ इस समय दोनों के द्वारा तिमूर का विद्रोह किया उसे गढ़देश में घुसने दिया गया। इस सन्दर्भ में कहा गया कि ***"नस्ख लिपि में लिखे गये इस शब्द से भरोज, बरोज, वीरदत्त, ब्रह्मदत्त आदि कितने ही नाम निकल सकते थे।"*** [14]

मध्यकालिन शासन के समय उत्तराखण्ड में प्राचीन कत्यूरी वंशज का शासन था यह शासन मूल रूप से पूर्वी मध्यकाल में रहा। दिल्ली सल्तनत के चरम उत्कर्ष पर उत्तराखण्ड में चंद वंश का शासन रहा। इनके शासक सोमचन्द द्वारा राज्य किया गया। चन्दवंश की स्थापना काली कुमाऊँ के एक छोटे से क्षेत्र चम्पावत में हुई उसने कत्यूरी वंश की सहायता से यहाँ पर चंदवंश की स्थापना की इस सन्दर्भ में कहा है कि ***"इस बार वह अपने सत्ताइस साथियों के साथ उत्तराखण्ड में तीर्थ यात्रा पर आया।"*** [15]

इस प्रकार चम्पावत नगर 1563 ई0 तक चन्द्र वंश की राजधानी रही। इस काल के प्रमुख राजा ज्ञानचन्द, उद्यानचन्द, विक्रम चन्द, भारली चन्द, रत्नचंद, कीर्तिचन्द, कल्याण चन्द, रूद्र चंद, लक्ष्मी चन्द, बाजबहादुर, उद्योत चंद, ज्ञान चन्द आदि रहे जिनका शासन काल उत्तराँचल में एक लम्बे समय तक रहा। चन्द वंश द्वारा शासन व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित किया गया तथा उसे हर प्रकार से सुदृढ़ता प्रदान करने का प्रयास भी इस वंशज द्वारा किया गया। इस वंशज के पतन के भी कारण थे इस वंशज के उत्तराधिकारी

Estelar

बाद में अयोग्य होने लगे तथा उनकी अयोग्यता के कारण दरबार में ही अनेकों प्रकार के षड़यन्त्रों की रचना होने लगी। इस समय गढ़वाल तथा डोडी से संघर्ष होने के कारण भी इस वंशज का पतन होने लगा। इस वंशज के समय प्रादम आक्रान्ताओं द्वारा भी लूटमार की गयी। प्रचुर लूट होने के कारण भी राजव्यवस्था की स्थिति धराशायी होने लगी जिससे वंशजों की स्थिति निरन्तर कमजोर होती चली गयी। इन वंशजों की आर्थिक स्थिति भी दयनीय होने के कारण ये वंशज समापन की ओर अग्रसर हो गये।

पंवार वंश भी गढ़वाल शासन का प्रमुख राजवंश था इस राजवंश से सम्बन्धित अभिलेख देवप्रयाग, पौड़ी तथा श्रीनगर स्थान से प्राप्त हुए है। इस वंशज से सम्बन्धित जानकारियां मुगलकालीन ग्रन्थों में प्राप्त होती हैं। गढ़वाल में पंवारवंशीय प्रमुख कनकपाल था। पंवारवंश के विभिन्न वंशजों में से जगतपाल, अजयपाल, सहजपाल, बलभद्रशाह, मानशाह, श्यामशाह, महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह, प्रधुम्मन शाह आदि द्वारा शासन किया गया। इनकी शासन व्यवस्था भी सुदृढ़ आधार की थी राज्य की आय के लिये भू राजस्व की उत्तम व्यवस्था इस वंशजों के द्वारा की गयी इसके अतिरिक्त इस वंशज द्वारा अड़सठ् प्रकार के करों की वसूली की जाती थी। इस काल के उपरान्त उत्तराखण्ड में गोरखा प्रजाती का उत्थान हुआ था।

4.5.2 मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड की राजनीति स्थिति तथा पुलिस की भूमिका :–

मध्यकालीन भारत से पूर्व मध्यकाल में जहाँ समस्त भारत में सामन्ती शासन व्यवस्था थी वहीं उत्तराखण्ड में पौरव राजवंश का शासन था। पौरव वंश के प्रमुख शासकों द्वारा किये गये शासन में गुप्त व हर्ष के काल की शासन की छवि दिखायी देती है। इसमें मुख्य रूप से हर्ष की शासन प्रणाली का अनुकरण है।

पौरव वंश का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। उसकी भी उपाधि परमभट्टारक तथा महाराजाधिराज थी। इस समय के राजा अपने को गौ ब्राह्मण हितैशी कहते थे। इस काल में राजा पूर्ण रूप से निरंकुश नहीं था। उस पर मंत्रिपरिषद् का नियन्त्रण भी रहता था। इस समय ब्रह्मपुर पौरव वंशजों की राजधानी थी जिसका उल्लेख हर्ष काल में भी मिला है। इस सन्दर्भ में लिखा गया है कि ***"हेवनसाँग ने यहाँ की यात्रा भी की थी तथा ब्रह्मपुर राज्य का वर्णन किया है। हेवनसाँग के समय ब्रह्मपुर राज्य हर्ष के अधीन रहा होगा।"***[46]

पौरव काल में मंत्रिपरिषद् अत्यधिक प्रभावशाली थी। राजा महत्वपूर्ण कार्यों में इनका समर्थन लेता था इसकी नियुक्ति शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए की जाती थी। मन्त्रिपरिषद् में आमात्य, बलाध्यक्ष, सन्धिविग्रिहक, राजदै्वारिक, कोटाधिकरण, कुमारामात्य, सर्वविषय प्रधान, देवद्रोव्यधिकृत तथा कारगिक इत्यादि अधिकारी थे। पौरव वंश की सेना तीन भागों में विभक्त थी जिसमें गज, अश्व तथा पैदल थे। तीन सेना के प्रमुखों की गजपति, अश्वपति तथा जयनपति कहते थे। तीन सेनाओं का अध्यक्ष बलाध्यक्ष होता था। सन्धिविग्रहिक सन्धि व युद्ध का अधिकारी होता था।

पौरव काल में कोट, दुर्ग को कहते थे इसके अध्यक्ष को या सर्वोच्च अधिकारी को कोटाधिकरण कहलाया जाता था। प्रतिहार नामक अधिकारी पर राज परिवार की सुरक्षा का भार होता था। राजदौवारिक राजप्रासाद में आने जाने वालों की देखरेख करता था। कारगिक राजा के आदेशों को अधिकारियों तक पहुँचने का कार्य करता था। सुपकारपति राजा के भोजनालय का प्रबन्ध करता था। इसके अतिरिक्त कोट के अन्य अधिकारी तथा पदाधिकारी भी होते थे। इस समय राज्य की प्रमुख आय का स्रोत भूमिकर था। भूमिकर वसूलने वाले अधिकारी को भागिक कहा जाता था। भूमिकर अन्न के रूप में लिया जाता था। भूमिकर के अतिरिक्त अन्य करों को भोग कहा जाता था। इसे भौगिक नामक अधिकारी वसूलता था। अन्य कर करिक व कुलचरिक एकत्र करते थे। खनिज, वन तथा औषधी से राज्य की आय भी होती थी। भोटान्तिक व्यापार भी राज्य की आय को बढाता था।

इस समय पौरव वंश के पास आन्तरिक शान्ति तथा सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग का सुदृढ़ ढ़ाचा भी था। पौरव वंश गुप्त काल की प्रतिछाया के समान था। इस समय अपराध नियन्त्रण हेतु राज्य में दण्डवासिक या दण्डपासिक नाम उच्च अधिकारी भी थे इस काल में दण्डोपरिक व कटुक नामक अधिकारी भी थे जो राज्य में शान्ति व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करते थे। इस वंश का वर्णन तालेश्वर अभिलेखों में गुप्त काल में भी मिले हैं। जिसके लिये कहा गया है कि ***"गुप्ते जिन्होंने तालेश्वर अभिलेखों का सम्पादन किया है ने तालेश्वर अभिलेख की छठी सदी ई0 से आठवीं सदी ई0 के मध्य का माना है।"***[47]

कत्यूरी वंश के इतिहास के स्रोत पाण्डुकेश्वर, बागेश्वर तथा बालेश्वर से प्राप्त हुए हैं। इनसे कत्यूरी राजाओं की शासन व्यवस्था के विषय में पता चलता है। इस वंशज की

Estelar

उत्पत्ति के लिए माना गया है कि कत्यूरी, कटार शब्द से बना है। एंटकिंसन ने इस सन्दर्भ में कहा है कि ***"कत्यूरी शब्द को कटार शब्द के समतुल्य मानकर कत्यूरी वंश को काबुल व पश्चिमी हिमालय के ढलानों में वंशी कटोर नामक आयुधजीवी जाति का वंश माना है।"***[18]

इस वंशज को कुषाण वंश से भी माना गया है। कुछ का मानना है कि ये खस जाति से थे। पाल कत्यूरियों के समकक्षिय है। खश भी उत्तराखण्ड की शक्तिशाली व प्रभुत्व सम्पन्न जाति मानी जाती है। उन्होंने किरात व कोलों को पराजित किया था। इस वंशजों की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। इसी राजधानी शब्द से ही यह वंश का नाम सामने आया है। इस वंश में भी राज्य का सर्वोच्च राजा ही होता था जिसे भट्टारक या महाराजाधिराज परमेश्वर कहते हैं। अन्तिम कत्यूरी राजाओं को छोड़कर सभी योग्य, प्रजावत्सल, विद्धानों के आश्रयदाता, दानी तथा धार्मिक प्रवृति के थे। इन्होंने अनेकों मन्दिरों का निर्माण कराया।

कत्यूरी वंशजों के मंत्रिपरिषद् में अधिकारियों की एक लम्बी सूची है इसमें आमात्य, राजामात्य, महासन्धिविग्रहाधिकृत, कुमारामात्य, महादानाक्षयपटलाधिकृत, महादण्डनायक, महाप्रतिहार, महाराजा प्रमातार, उपरिक, महाकर्ता, गौल्मिक, शौल्किक आदि थे। इस राजवंश के पास एक शक्तिशाली सैनिक की सेना थी। कत्यूरी सेना को चार भागों– पैदल, अश्व, हस्ति तथा ऊँट में बाँटा गया था अश्व सेना का प्रमुख अश्वबलाधिकृत हस्ति सेना का प्रमुख हस्तिबलाधिकृत तथा ऊँट सेना का प्रमुख उष्टबलाधिकृत था। तीनों सेनाओं का प्रमुख हस्त्यश्वोष्ट्र बलाधिकृत कहलाता था। ऊँट तथा हस्ति सेना का प्रयोग तराई व भाबर में किया जाता था। सीमाओं की सुरक्षा के लिए इस काल में प्रान्तपाल नियुक्ति था।

उत्तराखण्ड में कृषि प्रमुख व्यवसाय माना गया है। भूमिकर राजा की आय का मुख्य साधन था। प्रमातार भूमि की नाप करता था। इस समय भूमिमापन का कार्य द्रोणवापम तथा नालीवापम् से किया जाता था। भूमि के पट्टे या अभिलेख उपचरिक या पटटकोपचरिक नामक अधिकारी रखता था। इस काल में भोगपति तथा शौल्किक इत्यादि अधिकारियों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये भोग व शुल्क आदि करों को वसूलने का कार्य करते थे। इस राजवंश ने अनेकों लोकहित के कार्य करवाये उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के पूर्ण प्रबन्ध कराया तथा यात्री ग्रहों तथा प्याऊ का भी निर्माण कराया। कत्यूरी वंश में उपरिक नाम के अधिकारी का वर्णन हुआ है। यह गुप्त काल का प्रान्तपति था। इस वंशज

Estelar

में शक तथा कुषाणों के शासन व्यवस्था की झलक भी है इस सन्दर्भ में राहुलसांस्कृत्यान ने कहा है कि– *"कत्यूरी वंश के शक–कुषाणों से सम्बन्धित मानते हैं।"*[19]

इस शासन काल में उपरिक प्रान्तों के आयुक्त होते थे जो प्रशासन की अनेक इकाईयों का शासन देखते थे। कत्यूरी वंशज में राज्य को अनेक प्रान्तों में बाँटा गया था। सम्भवतः इनको भुक्ति कहा जाता था भुक्ति, प्रान्तों को हर्ष व गुप्त काल में कहा जाता था। यह प्रान्त कई विषयों में भी विभक्त था। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था तथा राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जहाँ राज्य की ओर से मुकद्दम नामक अधिकारी नियुक्त थे। राज्य की आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा के लिए इस काल में पुलिस विभाग था। इस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी महादण्डनायक तथा दण्डपासिक था। इसके अतिरिक्त दण्डिक, चाट, भाट आदि छोटे कर्मी थे। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधिक कहलाता था। गुप्तचर विभाग भी राजा तक समस्त गुप्त व महत्वपूर्ण सूचनाएँ पहुँचाता था। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुःसाध्यसाधनिक होता था। चोर व डाकुओं को पकड़ने वाले अधिकारी को चोरोद्धरणिक कहा जाता था। इस प्रकार इस राज्य द्वारा आन्तरिक सुरक्षा, शान्ति तथा अपराधों पर नियन्त्रण हेतु उत्तम शासन व्यवस्था को किया गया था।

कुमाऊँ के इतिहास में चन्दों का राज्यकाल एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इस पतन के पश्चात कुमाऊँ में लम्बे समय तक विदेशियों के अधीन रही। इस वंश के अनेक प्रतापी राजाओं ने सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था का निर्धारण किया। इस समय राज्य की समृद्धि, सम्मान तथा प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि हुई। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। चंद वंश के राजा निरकुश न होकर राज्य के राजा थे। ये राजा वीर, साहसी, धैर्यवान, दानी, धर्मपरायण, विद्याप्रेमी, विद्वानों के आश्रयदाता, कुशल प्रशासक, कुशल राजनीतिज्ञ तथा कुशल निर्माणकर्ता थे। राज्य के उच्च पदाधिकारियों में युवराज, मंत्री, दीवान, राजगुरू एवम् राजपुरोहित, सेनापति, फौजदार आदि प्रमुख पदाधिकारियों के अतिरिक्त रसोई दरोगा, खंजाची, लेखवार, हयूपाल, राजचेली आदि अनेक अधिकारी तथा कर्मचारी थे। चंद काल में गाँव प्रशासन प्रधान के अधीन था। जो गाँव में राजस्व की वसूली करता था ग्राम प्रशासन की तरह कार्य करता था। ग्राम प्रधान की सहायता के लिये कोटाल तथा पहरी होता था पहरी गाँव का चौकीदार तथा कोटाल लेखक होता था। चन्द्र राज्य कृषि का प्रधान राज्य होता था। चंद राजाओं के पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। सेना में अधिकांश पैदल

Estelar

तथा घुडसवार थे। सेना का प्रमुख अधिकारी सेनापति होता था। सैनिक अधिकारियों तथा सैनिकों को वेतन जागीर के रूप में दी जाती थी।

इस काल में शासन की व्यवस्था महरा तथा फर्त्याल दलों के द्वारा की जाती थी। इन्हीं दलों की सहयोग से राज्य चलता था। इस कारण चंद राज्य शक्तिशाली बनता गया। लेकिन कुछ लोग लालची तथा लोभी होने के कारण राज दरबार में षडयन्त्र होने लगे। चंदों की शासन व्यवस्था प्रशंसनीय थी।

मध्यकाल में पंवार वंशज उत्तराखण्ड के गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख वंशज रहा है। इस वंश के अभिलेखिय विवरण देवप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर आदि स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। इस वंश की स्थापना कनकपाल के द्वारा की गयी थी। इस काल में भी राजा अपने राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। राजा राज कार्य में सहयोग हेतु अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता था। गढ़ राजवंश धर्म परायण, प्रजावत्सल तथा विद्धानों का आश्रयदाता एवम् कला संरक्षक के रूप में जाना जाता है। इस समय प्रमुख अधिकारी वजीर, दीवान, फौजदार, दफ्तरी, नेगी, धर्माधिकारी, गोलदार, वकील आदि थे। मुख्तार, वजीर या दीवान के समान था। जो राजा के उपरान्त शक्तिशाली पद था। कमजोर शासकों के काल में दीवान, वजीर या मुख्तार ही राज के सर्वेसर्वा होते थे। दफ्तरी भी एक महत्वपूर्ण पद था जो कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, वेतन, पुरस्कार, दण्ड व जागीर इत्यादि का निर्धारण करता था। फौजदार परगने के सैनिक अधिकारी थे। धर्माधिकारी धर्म कार्यों का प्रधान होता था। गोलदार राज्य का आन्तरिक सुरक्षा अधिकारी होता था जो पुलिस विभाग की भाँति कार्य करता था। वकील राजा के दूत की भाँति कार्य करता था। इस वंशजों के समय खवास–खवासिन, चोपदार, सोदी व चण्ड आदि भी थे। उच्च पदाधिकारियों का वेतन जागीर के रूप में प्राप्त होता था दैनिक व्यय के लिए कुछ नकद राशि देने का प्रावधान था। इस सन्दर्भ में कहा है कि ***"कुछ कर्मचारियों को प्रत्येक फसल पर गाँवों से कुछ अन्न नाली के रूप में मिला करता था।"***[20]

सेना में पैदल व घुड़सवार ही अधिक थे। इनकी सेना विशाल थी। सेना में सैनिकों की नियुक्ति फौजदार तथा गोलदारों द्वारा की जाती थी। न्याय व्यवस्था पंचायती आधार पर निर्धारित की जाती थी। साधारण मामले पंचायत द्वारा निपटाये जाते थे अन्य मामले फौजदारों व गोलदारों के पास जाते थे। हत्या, डकैती तथा राजद्रोह के मामलों का निर्णय राजा ही लेता था। सामान्य अपराधों के लिए आर्थिक दण्ड की व्यवस्था थी। मृत्यु दण्ड

Estelar

कम दिया जाता था। इस काल में अपराधी की खोज के लिए दिव्य कला का प्रयोग किया जाता था।

यह वंशज का राज्य कृषि प्रधान था। इसलिए आय के साधन के रूप में भू–राजस्व वसूला जाता था। समस्त भूमि का स्वामी राजा होता था। राजा रौत, जागीर तथा संकल्प के रूप में किसी को भूमि दे सकता था। रौत तथा जागीर अस्थायी हस्तान्तरण था जिसे वापस लिया जा सकता था। संकल्प स्थायी रूप से दान की व्यवस्था थी। परगनों से भूराजस्व को थोकदार के माध्यम से वसूला जाता था। इस राज्य में अन्य प्रकार के कर भी लिये जाते थे। इस राज्य में वनों, खानों, आर्थिक दण्डों आदि से भी आय होती थी।

4.5.3 मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड राज्य की सामाजिक स्थिति तथा पुलिस का प्रभाव :–

मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड की सामाजिक स्थिति का वृहत अध्ययन करने के पश्चात् ज्ञात होता है उस समय समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। प्रथम सवर्ण (बीट) तथा दूसरा असवर्ण (डोम) था। इसमें बीट (सवर्ण) में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय (खस) दोनों ही थे। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था उत्तराखण्ड की कत्यूरी थी। कत्यूरी वंशजों के समय में बीट व बैरसुआ के मध्य ऊँच–नीच का कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन चंदो के शासन काल में इसका विकास हो गया था। दोनों वर्ग कृषि, पशुपालन तथा व्यवसाय किया करते थे। खान–पान आदि में भी कोई भेदभाव नहीं था। इस काल में ब्राह्मण अन्य कार्यों के साथ पौरोहित्य का कार्य करते थे।

ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के वैवाहिक सम्बन्ध अपने ही वर्गों में होते थे। यदि कोई ब्राह्मण 'डोला' या 'सरौल' आदि के रूप में क्षत्रिय कन्या से विवाह करता था तो उसे जाति बहिष्कार या 'जात्यपनयन' को नहीं भुगतना पड़ता था। कत्यूरी शासनकाल में समाज चार वर्गों में विभाजित था। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, खस व चाण्डाल के रूप में थे। इस काल में वर्णोत्कर्ष तथा वर्णापकर्ष भी पाया जाता था। परन्तु इसका क्रियान्वयन किसी प्रशासनिक व सामाजिक व्यवस्था में नहीं दिखायी दिया है। जातिय व्यवस्था में उत्तराखण्ड में ठुलजात या भलजात एवम् भ्यारजात् शब्द प्रचलित थे। छोटी जात में पूर्व काल में खानपान में गौमाँस खाने का भी विवरण मिले हैं। ***"ये लोग गो माँस भी खा लेते थे, मारते नहीं थे, मरे हुए डंगरों को खा लेते थे।"***[21]

कत्यूरी शासनकाल में अन्त्यज (चाण्डाल) जाति तो थी परन्तु उसे सामाजिक स्तर पर भिन्न नहीं माना जाता था। सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में इनकी प्रतिशत संख्या में दस से भी कम थे। इस समय ग्राम सभा में शिल्पकार लोग थे जो कृषि कार्यों से सम्बद्ध तथा गृहपयोगी वस्तुओं का निर्माण करते थे। ये भवन निर्माण करके भी अपनी आजीविका को चलाते थे। इनको कृषि कार्य में भी भाग दिया जाता था। इन लोगों को उत्सव, तीज–त्योहार तथा ब्याह–शादी आदि अवसरों पर सेवाओं के बदले अन्न, धन, भोजन तथा वस्त्र इत्यादि दिये जाते थे। सवर्णों का व्यवहार इनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होता था। अन्त्यज लोग यहाँ के मूल निवासी थे इनको खस जाति ने अपने अधीन कर लिया था। चन्दकाल में यहाँ नवीन सामाजिक व्यवस्था को विकसित किया गया। इस काल में अमानवीय व्यवहार का वर्णन भी प्राप्त होता है। इस काल में इनकी भूमि को छीनकर इन्हें कृषि दास तक बना दिया गया था। इस काल में इनकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई थी। उच्च जाति खस लोग जागीरदार व माफीदार बन कर भूमि स्वामी बन गये थे। राजकीय पदों में बैठकर जीवन को समस्त सुख सुविधाओं का भोग करते थे। इस समय उच्चवर्गीय जाति के किसी वस्तु को स्पर्श करने, उपयोग द्वारा अपवित्र करने, मन्दिरों में प्रवेश करने तथा उच्चवर्गीय स्त्री के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करने के अपराध पर प्राणदण्ड तक दे दिया जाता था। ये ब्राह्मणों के प्रवेशद्वार से आगे भी नहीं जा सकते थे नही किसी को छू सकते थे।

इस काल में वर्गधारित विशेषाधिकार भी थे। वर्ग के अनुसार सबसे ऊपर ब्राह्मण वर्ग आता था जिसे चौधानी तथा पंचवीडी कहा जाता था चौधानी का स्थान सर्वोपरि था इनको सामाजिक व जातीय स्तर पर अपने लिए सर्वोच्च स्थान पर आरक्षित कर लिया था। प्रशासनिक व सामाजिक प्रतिष्ठा के पद मंत्री (दीवान) राजपुरोहित, राजगुरू, वख्सी तथा धर्माधिकारी पद इन्हीं वर्ग के पास रहता था। इस कारण यह वर्ग आन्तरिक शान्ति व व्यवस्था का निर्धारण करने में भी सहायक होता था। पुलिस विभाग का उच्च पद भी इसी वर्ग के पास रहता था। महादण्डनायिक तथा महादण्डपाशिक पद भी इन्हीं के पास रहते थे। इस वर्ग के लोगों के पास भू–स्वामित्व का अधिकार भी था इनकी जागीरें तथा रियासतें जो राजा द्वारा प्रदान की जाती थी और कर मुक्त भी थी। यह वर्ग सभी करों से मुक्त रहता था। इस वर्ग के लोगों द्वारा किये गये अपराध के लिए शारीरिक व कारावासिय दण्ड देने का प्रावधान नहीं था। इनको अन्त्यज या निम्नवर्ग के लोगों को गृहदास एवं कृषिदास बनाने की पूर्ण अनुमति भी प्राप्त थी। इस वर्ग को राजकीय भोजों में सम्मलित

Estelar

होने की अनुमति थी। वरिष्ठ के साथ कनिष्ठ पदों पर भी इनका ही अधिकार होता था। न्यायपालिका के धर्मोधिकारी पद पर भी इन्हीं का अधिकार रहता था इसके विशेषाधिकार वाले क्षेत्रों में किसी अन्य का प्रवेश वर्जित था। इस काल में धर्माधिकारी द्वारा प्रदत्त समस्त धार्मिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था तन्त्र का संचालन किया जाता था दीवान, फौजदार या माफीदार सभी पर इस वर्ग के लोगों का ही अधिकार था। इनके द्वारा बनाये गये नियमों में कठोरता से समाज में लागू किया जाता था। अपराधों की होने की गुजायश भी नहीं होती थी।

क्षत्रिय वर्ग के लोग जिन्हें राजपूत भी कहा जाता था जो प्रशासन के निम्न पदों को प्राप्त करने में सफल होते थे। परन्तु कुछ जो इन पदों पर आसिन नहीं होते थे वे कृषि, पशुपालन तथा छोटे व्यवसायों को कर लेते थे। इनकी गणना निम्न वर्गीय क्षत्रिय तथा जिमदार के रूप में की जाती थी। इस समय आप्रवासी ब्राह्मण व राजपूत, उच्च वर्गीय ब्राह्मण तथा राजपूतों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते थे। जो उच्च वर्ग से सम्बन्ध नहीं स्थापित करते थे वह निम्न वर्ग के क्षत्रियों से सम्बन्ध स्थापित करते थे। इस प्रकार इस काल में क्षत्रिय वर्ग भी सामाजिक रूप से प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देता था तथा समाज में आन्तरिक शान्ति तथा सुरक्षा को बढ़ाने में सहयोग करता था जो प्रान्तीय पुलिस संगठन का एक भाग होता था।

अन्त्यज वर्ग वर्गाधारित व्यवस्था में अछूत माना जाता था इसमें अन्त्यज वर्ग को ऊपरी तथा निचली दोनों जातियों में बाँटा जाता था। इस काल में पशुओं की खाल उतारने तथा चमड़े का कारोबार करने वाले वर्ग कमीन, हलिया, लोहार व तेली आदि अन्य की तुलना में निम्नवर्गीय माने जाते थे।

इस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाओं का प्रभाव शासन प्रणाली पर भी पड़ा है। इस काल की शासन व्यवस्थायें जैसे– पौरव वंश, कत्यूरी वंश में अत्यधिक सामाजिक भिन्नताएं नहीं दिखायी दी हैं जिस कारण पौरव वंश, कत्यूरी वंश के समय प्रशासन की इकाईयों में सभी की सम्पूर्ण सहभागिता का भाव दिखायी दिया है परन्तु चन्द शासन के समय समाज सामाजिक व्यवस्था में अत्यधिक परिवर्तन दिखायी दिये हैं। इस काल में समाज में सवर्ण तथा असवर्ण आदि समाज में बटा था। प्रशासन की छोटी इकाई ग्राम स्तर पर शासन व्यवस्था का निर्धारण किया जाता था प्रधान ही ग्राम प्रशासन करता था वह ग्रामीण स्तर पर पुलिस कार्य भी करता था उसकी सहायता हेतु कोटाल तथा पहरी होते थे इस प्रकार

Estelar

इस व्यक्ति को ग्राम स्तर पर न्याय, सैनिक, प्रशासनिक तथा पुलिस सम्बन्धी अधिकार दिये गये थे। समय–समय पर भिन्न–भिन्न परिस्थितियों के अनुरूप वह कार्य करता था।

उत्तराखण्ड के परमपरागत् समाज में शासन के बजाय वहाँ के सामाजिक बंधन व रीति रिवाज आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति के निर्माण में सहायक थे। छोटे–मोटे विवादों का निपटारा चंद व पंवार वंश के समय पहरी करते थे। किसी वाद के निस्तारण में उन्हें जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता था। इससे स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड का परमपरागत् समाज के साथ सीधा–साधा समाज था अपितु अपराधों से इनका दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं था। चंदों की कर नीति के विषय में अठकिंसन ने कहा है कि– ***"चंदों के समय जमीन का मालिक थातवान कहलाता था। थात का अर्थ जमीन है। खायकर और सिरतान शब्द भी चंदों के हैं। खायकर वह कहा जाता था (अब भी कहा जाता है) जो जमीन की पैदावार कमाकर खावे और साथ ही रकम यानी मालगुजारी भी खाबे और साथ ही रकम या मालगुजारी भी दे। खायकर अनाज व नकदी दोनों देता था। सिरतान उस आसामी का नाम था (और है) जो नकद टैक्स या कर देता था। केनीखेत में काम करने वाले गुलाम थे। छ्योड़ा भी मोल लिये घरेलू नौकर (दास) तुल्य होते थे। चंद राजाओं के समय में 36 प्रकार के राजकर होते थे जिनको थातवान राजकोष में जमा करते थे।"***[22]

इस समय प्रधान या पधान मालगुजारी भी वसूलने का कार्य करता था। पुलिस का काम भी वह स्वयं गाँव में करता था। उत्तराखण्ड पुलिस का सामाजिक आधार पर विकास हुआ था इसका विकास छठीं व सातवीं सदी में हुआ होगा पौरव वंश के समय उत्तराखण्ड में पुलिस तन्त्र के विषय में साक्ष्य से स्पष्ट रूपरेखा प्राप्त हुई है। पौरव वंश के समय गुप्त शासन काल के समय की आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति जैसी पुलिस व्यवस्था का रूप दिखायी देता है। इस समय दण्डवासिक तथा दण्डपासिक नामक पुलिस अधिकारी थे। कत्यूरी राजवंश में भी पुलिस विभाग था उस समय पुलिस अधिकारी महादण्डनायक व दण्डपासिक के रूप में थे। इस काल में अपराधी को पकड़ने इत्यादि की भी उत्तम व्यवस्था कर दी गयी थी। इस समय गुप्तचर व्यवस्था भी पूर्ण रूप से सक्रिय थी। चन्द्र वंश तथा पंवार वंश के समय उत्तराखण्ड में ग्राम शासन व्यवस्था में पुलिस प्रभाग का उल्लेख प्राप्त है इसमें पहरी ही गाँव शासन के पुलिस की प्रथम इकाई था जो अपने स्तर पर ही वादों का निपटारा कर देता था वर्तमान राजस्व सम्बन्धित अधिकार छोड़कर वर्तमान पटवारी के

Estelar

पूर्ण अधिकार उसके पास उस समय सुरक्षित थे वह वर्तमान पटवारी से भी अधिक शक्ति सम्पन्न था, जो ग्राम के प्रधान या प्रधान के अन्तर्गत कार्य करता था।

4.5.4 मध्यकालीन भारत में उत्तराखण्ड राज्य की प्रशासनिक स्थिति तथा पुलिस की आवश्यकता :–

मध्यकालीन उत्तराखण्ड का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि मध्यकाल में भारत के इस भाग उत्तराखण्ड में चार राजवंश पौरव, कत्यूरी, चंद तथा पंवार वंश का शासन रहा है। इसमें पूर्व मध्यकाल में कत्यूरी वंशजों द्वारा शासन किया है उसके उपरान्त अन्य वंशज चंद तथा पंवारों ने कुमाऊँ व गढ़वाल में शासन किया है। कुमाऊँ का शासन चंद तथा गढ़वाल का शासन पंवार वंश के पास था। कत्यूरी तथा पौरव वंश के शासन व्यवस्था में हर्ष तथा गुप्त शासन व प्रशासन का स्वरूप छायाकित होता है।

पौरव वंश का शासन काल उत्तराखण्ड में पूर्व मध्यकाल में रहा यह वंश हर्ष काल का समापन के पश्चात उभर कर आया। इस काल के शासक, शासन व्यवस्था में निपुण माने जाते थे। पौरव साम्राज्य का स्वरूप हर्ष पर आधारित होने के कारण इस काल के अधिकारी हर्ष व गुप्त काल के समान ही है। राजा इस वंशज के समय सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कार्य करता था। उसे परम भट्टारक की उपाधि दी जाती थी कभी उसे महाराजाधिराज भी कहा जाता था। राजा निरंकुश नहीं थे सदैव प्रजापाल्य तथा प्रजा के रक्षक की तरह थे।

पौरव वंश का शासन प्रबन्ध संगठित था उसमें मन्त्रीपरिषद् का महत्वपूर्ण स्थान था। मन्त्रिपरिषद् का प्रमुख आमात्य था उसकी सहायता हेतु बलाध्यक्ष, सन्धिविग्रहिक, कोटाधिकरण, कुमारामात्य सर्वविषयप्रधान, देवद्रोण्यधिकृत तथा कारगिक नामक अधिकारी थे। कोट की सुरक्षा का कार्य कोटाधिकरण के पास था। राज परिवार के सुरक्षा, राजप्रसाद पर आने जाने वालों के देखरेख, राजा के सन्देश को अधिकारियों तक ले जाने, भोजनालय या महाभोज का प्रबन्ध करने हेतु क्रमशः प्रतिहार, राजदौवारिक, कारगिक तथा सुपकारपति आदि अधिकारी थे।

इस काल के वंशजों के समय आन्तरिक शान्ति की व्यवस्था का निर्धारण करने हेतु पुलिस विभाग का गठन किया गया था। जिसमें पुलिस अधिकारियों के रूप में दण्डवासिक तथा दण्डपासिक थे जो अपराधों पर नियन्त्रण करते थे इनका कार्य आन्तरिक सुरक्षा का निर्धारण भी करना था इस काल या वंशज के समय दण्डवासिक तथा दण्डोपरिक का भी

Estelar

वर्णन प्राप्त होता है। इस काल में आन्तरिक शान्ति के निर्धारण हेतु कटुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है पौरव वंशज के समय उपरोक्त वर्णित समस्त पुलिस अधिकारी शान्ति व्यवस्था, आन्तरिक शान्ति के साथ अपराधों के नियन्त्रण के लिए ही नियुक्त किये गये थे। इस प्रकार पौरव वंश के समय वाह्य सुरक्षा के साथ आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ रखा गया था। जो पौरवों को उच्चकोटि का प्रशासक तथा कूटनीतिज्ञ दर्शाता है। इस शासन व्यवस्था के अंश बाद में आने वाले वंशजों के समय भी देखी गयी।

उत्तराखण्ड के इतिहास का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाने वाला राजवंश कत्यूरी वंश भी है। यह राजवंश कुछ विद्वानों व इतिहासकारों के मतानुसार शक–कुषाणों के अंश माने जाते हैं। कुछ इतिहासकार इनको खस भी मानते हैं। इनके द्वारा निर्मित कला के मन्दिर शक वंश में पाये जाते थे। कत्यूरी वंशज सर्वाधित खस जाति से सम्बन्धित माना जाता है। उत्तराखण्ड के राजपूत खस तथा कत्यूरी जातकों या वंशियों को निम्नजात मानते हैं।

कत्यूरी शासन व्यवस्था उत्तराखण्ड की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था मानी जाती है क्योंकि कत्यूरी राजाओं द्वारा लम्बे समय तक उत्तराखण्ड में अपना राज किया। कत्यूरी शासन व्यवस्था मौर्य, गुप्त तथा हर्ष के शासन व्यवस्था से मिलती जुलती सी है। इस वंशज के समय राजा प्रान्त का सर्वोच्च कर्ताधर्ता होता था। उसकी उपाधि परमभट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर की थी। इनको परम् महेश्वर परम् ब्राह्मण इत्यादि नामों से भी जाना जाता था। ये दयावान, प्रजावत्सल्य, दयालु, विद्वानों के आश्रयदाता तथा धार्मिक प्रवृति के थे। इन्होंने अनेक प्रकार के मन्दिरों तथा धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। इस वंशज के समय भी मन्त्री परिषद में अनेक मन्त्रियों को स्थान दिया गया था इन मन्त्रियों की नियुक्ति स्वयं राजा या सम्राट द्वारा की जाती थी। राजा इन मन्त्रियों से विभिन्न विषयों के सन्दर्भ में अपनी सलाह लेता रहता था। इन मंत्रियों में से प्रमुख मंत्री के रूप में आमत्य होता था। आमत्य के अतिरिक्त इस काल में राजामात्य, महासन्धिविग्रहाधिकृत, कुमारामात्य, महादानासय पटलाधिकृत, महादण्डनायक, महाप्रतीहार, महाराज प्रमातार, उपरिक, महाकर्ता, गौल्मिक तथा शौल्किक आदि मन्त्रि थे। इस काल का सैन्य संगठन भी विशिष्ट आधार का था सेना में चार प्रभाग थे इसमें पैदल, अश्व, हस्ति तथा ऊँट थे पैदल सेना व अन्य सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी हस्त्यरवीष्ट्र बलाधिकृत कहा जाता था। अश्व सेना का प्रधान अश्वबलाधिकृत तथा हस्ति सेना का प्रमुख हस्तिबलाधिकृत व ऊँटों का प्रमुख

Estelar

उष्ट्रबलाधिकृत होता था ऊँटों तथा हाथियों का प्रयोग तराई व भावर में होता था। सीमाओं की सुरक्षा का कार्य इस काल में प्रान्तपालों के द्वारा भी किया जाता था। नदीघाटों के आवागमन की सुविधा, कर वसूली तथा अवांछित व्यक्तियों की गतिविधि को देखने के लिए तरपति नामक के अधिकारी की नियुक्ति की गयी थी।

इस वंशज के समय भूमि की देखरेख पट्टों का अभिलेख उपचरिक तथा पट्टकोपचरिक द्वारा किया जाता था इस समय भोगपति भोगकर तथा शौल्किक शुल्क की वसूली करता था इस समय का प्रमुख व्यवसाय तथा आय का साधन खेती थी अतः भूराजस्व लेने की व्यवस्था भी देखी गयी है। आय के अन्य स्रोतों के रूप में इस काल में वन, खनिज व पशु भी रहे होंगे। इस काल में वनों की रक्षा के लिए खण्ड अधिकारी तथा पशुओं की रक्षा हेतु पशुधिकारी के नियुक्त किये जाने के साक्ष्य भी उपलब्ध हुये हैं। इस काल में अग्रहार भूमि जो मंदिरों को दान दी जाती थी। इस काल में शासन व्यवस्था व्यवस्थित आधार की थी।

राज्य में इस वंशज के समय आन्तरिक शान्ति व सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी भी थे। इस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को महादण्डनायक तथा दण्डपासिक कहा जाता था। इसके अतिरिक्त दण्डिक, चाट व भाट आदि छोटे कर्मी भी थे। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधिक कहा जाता था। गुप्तचर विभाग को अत्यधिक गोपनीय तथा उसको समस्त सूचनाएँ राजा तक पहुँचानी होती थी। इस अधिकारी को दुःसाध्यसाधनिक कहा जाता था। चोर व डाकुओं को पकड़ने वाले अधिकारी को चोरोद्धरणिक कहा जाता था इस प्रकार कत्यूरी राजाओं की आन्तरिक सुरक्षा अत्यधिक सुव्यवस्थित तथा प्रभावशाली भी थी। इसके समय यात्रा करना सुरक्षित समझा जाता था। डर व भय का प्रश्न ही नहीं उठता था।

प्रान्तीय शासन व्यवस्था उपरिक के हाथ में थी यह गुप्त कालीन प्रान्तपति के समान था। इसके अन्तर्गत प्रान्तों में आयुक्त होते थे जो प्रान्तों का प्रशासन देखते थे। यह राज्य अनेक प्रान्तों में बटा हुआ हुआ था। प्रान्तों को भुक्ति कहा जाता था। कत्यूरी प्रान्त कई विषयों में बटे हुए थे इनका सर्वोच्च अधिकारी विषयपति होता था इस समय चार मुख्य विषयों का वर्णन पाया गया है। जो कार्तिकेयपुर, टंकनपुर, अन्तराग तथा एशाल थे। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका अधिकारी मुकद्दम था जो प्रान्त स्तर पर सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था को भी देखता था।

Estelar

मध्यकाल में उत्तराखण्ड के कुमाऊँ क्षेत्र में चंद वंश का स्वरूप भी मिलता है। यह वंश सोमचंद द्वारा उत्तराखण्ड में बसाया गया था। इस शासन काल में राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था उसने अपनी सहायता के लिए अनेकों अधिकारियों की नियुक्ति की। इन शासकों द्वारा शिक्षा का प्रचार व प्रसार भी कराया गया। ये दिल्ली के सुल्तानों को भी अपनी चतुराई से प्रसन्न रखते थे। इनके द्वारा युवराज, मंत्री, दीवान, राजगुरू एवं राजपुरोहित, सेनापति, फौजदार के अतिरिक्त रसोई दरोगा, खंजाची, लेखवार, हयूपाल, राजचेली आदि की भी नियुक्ति की थी। इनके द्वारा राजकाज में मदद हेतु समाज के वर्गों को निम्न भागों में बाँटा था जो चार बुढ़ा (कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी) पाँच थोक (महरा, फर्त्याल, ढेक तथा करायत) चार चौधानी (देवलिया, निगल्टिया, पाण्डे, तिवारी, बिष्ट) छः धरिया (जोशी, पन्त, पाण्डे, झा, तिवारी, भट्ट तथा पाठक) बारह अधिकारी (लड़वाल, बैडवाल, खतेडी, मेहता, थौनी, सौनी, लाड़, ग्वाल इत्यादि) पंच बिडिया (चार चौथानी तथा छः धरिया या पड़कुली ब्राह्मणों के अतिरिक्त ब्राह्मण) खतीमान ब्राह्मण (छोटे ब्राह्मण खतीमान) कहलाते थे। डोटी में इनको खटख्याला कहा जाता था। पौरी पन्द्रह विश्वा (शुद्र प्रजाती) आदि वर्ग थे। यह वंशज प्रत्येक भाग के विद्वानों से राय लेता था तभी कार्य करता था। चन्द काल में ग्राम प्रशासन का कार्य ग्राम प्रधान के पास था जो पहरी तथा कोटाल की मदद लेता था प्रहरी ग्राम में पुलिस का निम्न अधिकारी भी था जो ग्राम स्तर पर शान्ति व्यवस्था का निर्धारण करता था। पहरी निम्न जात से होता था। चंदों की सेना शक्तिशाली थी। उत्तराखण्ड के गढ़वाल की प्रमुख पवार जाति थी राजा इस काल में राज्य का सर्वोच्च होता था वह राज्य की सभी भूमि तथा सम्पदा का स्वामी भी होता था। इस काल के प्रमुख पदाधिकारी तथा कर्मचारी वजीर, दीवान, फौजदार, दफ्तरी, नेगी, धर्माधिकारी, गोलदार व वकील आदि थे। मुख्तार, वजीर व दीवान समान थे। वजीर राजा के बाद सर्वशक्तिशली था। दफ्तरी का कार्यालय सचिवालय के समान था। जो कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, वेतन, पुरस्कार, दण्ड, जागीर इत्यादि सभी की देखरेख करता था। फौजदार परगनों का सैन्य अधिकारी था। नेगी, कुलीन परिवारों का प्रतिनिधि था। राजा महत्वपूर्ण कार्य में इसकी राय लेता था। धर्माधिकारी, धर्म विभाग का प्रमुख अधिकारी था। गोलदार राज्य का सुरक्षाधिकारी भी था। वकील दूत का कार्य करता था। इस काल में इसके अतिरिक्त अन्य कर्मचारी भी थे। जो खवास–खवासिन, चोपदार, सोदी चंद के रूप में थे जो सेवक सेविकाएँ, राजा के साथ चांदी का दण्ड लेकर चलने वाला, राज परिवार की भोज्य सामग्री का प्रबन्धक तथा सन्देश वाहक होते थे।

Estelar

उच्च अधिकारियों की वेतन जागीर के रूप में दी जाती थी तथा दैनिक खर्च के लिये कुछ धन दे दिया जाता था। पंचायत का निर्णय इस स्तर पर सर्वमान्य था। बड़े अपराधों पर अन्तिम निर्णय राजा द्वारा ही लिया जाता था। सामान्य अपराधों के लिये आर्थिक दण्ड दिया जाता था मृत्यु दण्ड कम दिया जाता था। घोर अपराध के लिए ही मृत्यु दण्ड का प्रावधान था। राजपूत को भारी अर्थदण्ड दिया जाता था इसी अपराध के लिए ब्राह्मण के देश निकाला दिया जाता था अन्य शुद्र इत्यादि को मृत्युदण्ड भी दिया जाता था। अपराध की खोज के लिए दिव्य प्रथा का आयोजन किया जाता था। दिव्य प्रथा से ही अपराध का पता लगाया जाता था।

Estelar

सन्दर्भ सूची

1. **बैस नरेन्द्र सिंहः**"इतिहास शिक्षण", संस्करण–2008, पृष्ठ– 1.1।
2. **बैस नरेन्द्र सिंहः**"इतिहास शिक्षण", संस्करण–2008, पृष्ठ– 1.5।
3. **वर्मा हरीश चन्द्रः** "मध्यकालीन भारत", संस्करण–1999, पृष्ठ– 150।
4. **वर्मा हरीश चन्द्रः** "मध्यकालीन भारत", संस्करण–1999, पृष्ठ– 160।
5. **वर्मा हरीश चन्द्रः** "मध्यकालीन भारत", संस्करण–1999, पृष्ठ– 176।
6. **वर्मा हरीश चन्द्रः** "मध्यकालीन भारत", संस्करण–1999, पृष्ठ– 178।
7. **वर्मा हरीश चन्द्रः** "मैडावल रूट टू इण्डिया", (डाक पद्धति का विशेष)।
8. **वर्मा हरीश चन्द्रः** "मध्यकालीन भारत", संस्करण–1999, पृष्ठ– 327।
9. **बैस नरेन्द्र सिंहः** "इतिहास शिक्षण", संस्करण–2008, पृष्ठ– 1.4।
10. **बैस नरेन्द्र सिंहः** "इतिहास शिक्षण", संस्करण–2008, पृष्ठ– 4.6।
11. **डबराल शिव प्रसादः**"उत्तराखण्ड का राजनैतिक व सांस्कृतिक" इतिहास–V-III, पृष्ठ–409।
12. **डबराल शिव प्रसादः**"गढ़वाल का इतिहास" भाग–4, पृष्ठ–471।
13. **कठोच यशवन्त सिंहः**"उत्तराखण्ड का नवीन इतिहास", संस्करण– 2010, पृष्ठ–128।
14. **सांस्कृत्यान राहुलः**"हिमाचल परिचय" (1), पृष्ठ– 127।
15. **पाण्डे बी0डी0:** "कुमाऊँ का इतिहास", संस्करण–1937।
16. **सांस्कृत्यान राहुलः**"हिमाचल परिचय", गढ़वाल पृष्ठ– 68 व कुमाऊँ पृष्ठ–35।
17. **एपिग्राफिया इण्डियाः** V-XIII ।
18. **एटकिसनः**"हिमालय डिस्ट्रिक्ट्स" V-II, पृष्ठ– 281–282।
19. **सांस्कृत्यान राहुलः**"कुमाऊँ", पृष्ठ–54।
20. **डबराल शिव प्रसादः**"गढ़वाल का इतिहास" भाग–4, पृष्ठ–471।
21. **पाण्डे बी0डी0:**"कुमाऊँ का इतिहास", संस्करण– 1937, पृष्ठ–514।
22. **उपाध्याय देवेन्द्रः** "उत्तराखण्ड में राजस्व पुलिस व्यवस्था", संस्करण–2014 पृष्ठ–6।

Estelar